

III

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

वैश्विक वित्तीय संकट शुरू होने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ने और छोटे केंद्रीय/राज्यों के अपने वेतन आयोगों के कार्यान्वयन के साथ, 2008-09 (संअ) में राज्य सरकारों के वित्त में राजकोषीय तनाव के कुछ आरंभिक संकेत दिखने लगे। राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि राजस्व व्यय में हुई वृद्धि की तुलना में न्यूनतर थी जिससे समेकित स्तर पर राजस्व अधिशेष में गिरावट आई। फलस्वरूप, 2007-08 की तुलना में 2008-09 (संअ) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात में 1.1 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। सकारात्मक पक्ष यह था कि पूंजीगत परिव्यय में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वृद्धि की गति को बनाए रखने में राज्यों की वचनबद्धता को दर्शाता है। राज्य बजटों के अनुसार, प्रमुख घाटा संकेतकों पर मंदी का प्रभाव 2009-10 (बअ) में अधिक मुखरित होने का अनुमान है। तीन साल के बाद राजस्व घाटा फिर से होना तथा 2009-10 में सकल राजकोषीय घाटे का व्यापक होना यह दर्शाता है कि राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस लौटना वांछनीय होगा।

1. परिचय

3.1 हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया जैसा कि प्रमुख घाटा संकेतकों अर्थात् जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) तथा प्राथमिक घाटा (पीडी) में परिलक्षित होता है। नियम-आधारित राजकोषीय ढांचे के अंतर्गत राजकोषीय सुधार एवं सुदृढीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करके हाल के वर्षों में राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है। राजकोषीय असंतुलन कम करने प्रति राज्य सरकारों के प्रयासों को बारहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय साझा-योग्य करें (केंद्रीय करें में उच्चतर उछाल से उच्चतर न्यागमन में मदद मिली) तथा अनुदान के माध्यम से उच्चतर न्यागमन और अंतरण द्वारा मदद मिली। 2007-08 तक की अवधि में हुई उच्चतर

जीडीपी वृद्धि से अधिक राजस्व जुटाना संभव हुआ। इन गतिविधियों के फलस्वरूप, 2007-08 (लेखा) के दौरान दूसरे क्रमिक वर्ष में राज्य सरकारों को राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष 2006-07 के 0.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 (लेखा) में 0.9 प्रतिशत पर उच्चतर था। राजस्व खाते में सुधार को दर्शाते हुए, जीएफडी-जीडीपी अनुपात भी 2006-07 के 1.8 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 (लेखा) में 1.5 प्रतिशत रह गया। तथापि, 2008-09 में आर्थिक वृद्धि कम होने के कारण, राजस्व की उछाल को धक्का लगा तथा समस्त व्यय बढ़ गया। फलस्वरूप राजस्व अधिशेष के स्तर में गिरावट आई तथा जीएफडी-जीडीपी अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2009-10 में प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में कमी आने का अनुमान है (सारणी III.1)। संक्षेप में, 2008-09 (संअ)

सारणी III.1: राज्य सरकारों के मुख्य घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रु. में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (बअ)	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
	औसत								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सकल राजकोषीय घाटा	(2.8)	(3.4)	(4.0)	90,084 (2.4)	77,508 (1.8)	75,455 (1.5)	1,12,653 (2.0)	1,46,349 (2.6)	1,99,510 (3.2)
राजस्व घाटा	(0.7)	(1.7)	(2.2)	7,013 (0.2)	-24,857 (-0.6)	-42,943 (-0.9)	-28,426 (-0.5)	-10,701 (-0.2)	32,295 (0.5)
प्राथमिक घाटा	(1.1)	(1.4)	(1.3)	6,060 (0.2)	-15,672 (-0.4)	-24,376 (-0.5)	4,270 (0.1)	40,128 (0.7)	83,083 (1.3)

बअ: बजट अनुमान।

संअ: संशोधित अनुमान।

नोट: 1. ऋणात्मक (-) संकेत अधिशेष को दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।

3. 2004-05 से वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रति अनुपात सीएसओ के राष्ट्रीय खाता 2004-05 की श्रृंखलाओं पर आधारित हैं। पिछले साल के लिए सकल देशी उत्पाद के आंकड़े 1999-2000 की श्रृंखलाओं से संबंधित हैं। वर्ष 2009-10 के लिए अनुपात 8 फरवरी 2010 को जारी सीएसओ के अग्रिम अनुमानों पर आधारित है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

तथा 2009-10 (बअ) में राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की गति में रूकावट आनी प्रतीत होती है। इस अध्याय में 2007-08 (लेखा), 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 (बअ) में राज्य वित्त की समेकित तस्वीर दी गई है।

2. लेखा : 2007-08

3.2 समेकित स्तर पर, 2007-08 के संशोधित अनुमानों के लेखों में रूपांतरित होने पर राज्यों के प्रमुख घाटा संकेतकों में

उल्लेखनीय सुधार हुआ। जहां राजस्व खाते में कुल मिलाकर अधिशेष लगभग दुगुना हो गया, वहीं जीएफडी में संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई। समेकित राजस्व अधिशेष 2007-08 (संअ) में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 (लेखा) में जीडीपी का 0.9 प्रतिशत हो गया (सारणी III.2 और परिशिष्ट 1)। 2007-08 (संअ) की तुलना में 2007-08 (लेखा) में सुधार आने का मुख्य कारण राजस्व व्यय में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की गिरावट आनी है। 2007-08 (संअ) की तुलना में

सारणी III.2 : प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2007-08 (संअ) की तुलना में 2007-08 (लेखा)

(राशि करोड़ रु. में)

मद	2007-08 (संअ)	2007-08 (लेखा)	घटबढ़		अंशदान* (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	6,28,742	6,23,748	-4,994	-0.8	100.0
(i) कर राजस्व (क + ख)	4,41,526	4,37,948	-3,578	-0.8	71.6
(क) अपना कर राजस्व	2,93,392	2,86,546	-6,846	-2.3	137.1
जिसमें से : बिक्री कर	1,78,198	1,73,422	-4,776	-2.7	95.6
(ख) केन्द्रीय करों में हिस्सा	1,48,134	1,51,402	3,268	2.2	-65.4
(ii) गैर कर राजस्व	1,87,216	1,85,799	-1,417	-0.8	28.4
(क) राज्यों का अपना गैर कर राजस्व	62,578	77,178	14,600	23.3	-292.3
(ख) केंद्र से अनुदान	1,24,638	1,08,622	-16,016	-12.9	320.7
II. राजस्व व्यय	6,06,216	5,80,805	-25,411	-4.2	100.0
जिसमें से:					
(i) विकास व्यय	3,55,099	337,337	-17,762	-5.0	69.9
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,06,474	100,775	-5,699	-5.4	22.4
ईंधन	28,599	30,729	2,130	7.4	-8.4
(ii) गैर विकास व्यय	2,34,386	2,27,235	-7,151	-3.1	28.1
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवा	47,694	44,866	-2,828	-5.9	11.1
पेंशन	56,002	56,098	96	0.2	-0.4
ब्याज भुगतान	1,02,878	99,831	-3,047	-3.0	12.0
III. पूंजीगत प्राप्तियां	1,34,635	1,41,987	7,352	5.5	100.0
जिनमें से:					
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	8,400	6,955	-1,445	-17.2	-19.7
IV. पूंजीगत व्यय	1,81,273	1,71,520	-9,753	-5.4	100.0
जिसमें से:					
पूँजी परिव्यय	1,28,331	1,18,862	-9,469	-7.4	97.1
जिसमें से:					
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	39,128	37,005	-2,123	-5.4	21.8
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	25,275	23,767	-1,508	-6.0	15.5
जापन मदें:					
राजस्व घाटा	-22,526	-42,943	-20,417	90.6	
सकल राजकोषीय घाटा	107,958	75,455	-32,503	-30.1	
प्राथमिक घाटा	5,080	-24,376	-29,456	-579.8	

संअ: संशोधित अनुमान।

* : सुसंगत जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

नोट: 1. घाटा संकेतकों में ऋणात्मक (-) संकेत अधिशेष को दर्शाता है।

2. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल है, जबकि पूंजीगत व्यय खाते में लोक लेखा शामिल नहीं है।

3. इसके अलावा परिशिष्ट पर टिप्पणियां देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

2007-08 (लेखा) में विकासात्मक व्यय में 17,762 करोड़ रुपए की गिरावट आयी जो राजस्व व्यय में आई कुल गिरावट का लगभग 70 प्रतिशत था। शिक्षा, खेल तथा कला एवं संस्कृति पर व्यय में 5.4 प्रतिशत की कटौती का विकास व्यय में गिरावट में प्रमुख अंशदान किया। इसके अलावा, 2007-08 (संअ) की तुलना में 2007-08 (लेखा) में राजस्व व्यय में आई गिरावट का लगभग 28 प्रतिशत गैर विकास व्यय में आई गिरावट का परिणाम था। गैर विकास व्यय के भीतर प्रशासनिक सेवा, पेंशन तथा ब्याज अदायगी जैसे वचनबद्ध व्यय में 2007-08 (संअ) की तुलना में 2007-08 (लेखा) में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसने राजस्व व्यय में आई कुल गिरावट में लगभग 22.7 प्रतिशत का अंशदान किया।

3.3 राजस्व प्राप्ति के पक्ष में, संशोधित अनुमानों की तुलना में 2007-08 (लेखा) में 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका कारण अपने कर राजस्व में आई गिरावट तथा केंद्र से मिलने वाले अनुदानों में आई गिरावट है। यद्यपि, अपना कर राजस्व (ओटीआर) संशोधित अनुमानों की तुलना में 2007-08 (लेखा) में 2.3 प्रतिशत कम हो गया, तथापि इसकी आंशिक क्षतिपूर्ति केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में हुई 2.2 प्रतिशत की वृद्धि से हो गयी। करेतर राजस्व के तहत, केंद्र से प्राप्त अनुदान संशोधित अनुमानों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से 12.9 प्रतिशत कम थे। तथापि, 2007-08 (लेखा) के अनुसार, अपने करेतर राजस्व (ओएनटीआर) के संग्रहण में राज्यों के कार्यनिष्पादन में संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.3 प्रतिशत का उल्लेखनीय सुधार आया।

3.4 उक्त के अनुसार, न सिर्फ जीडीपी के प्रति प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष में वृद्धि के रूप में सुधार आया अपितु संशोधित अनुमानों की तुलना में 2007-08 (लेखा) के दौरान जीएफडी-जीडीपी अनुपात में भी सुधार आया, जिसका मुख्य कारण पूंजीगत परिव्यय में कमी के साथ राजस्व अधिशेष में सुधार था। 2007-08 (लेखा) में पूंजीगत परिव्यय संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.4 प्रतिशत तक कम था। राजस्व अधिशेष में वृद्धि तथा पूंजीगत परिव्यय में कमी के फलस्वरूप, राज्यों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा 2007-08 (संअ) के 1,07,958 करोड़ रुपए से घटकर 2007-08 (लेखा) में 75,455 करोड़ रुपए रह गया। जीडीपी के अनुपात के रूप में, सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) संशोधित अनुमानों में जीडीपी के 2.2 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 (लेखा) में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत रह गया। जीएफडी में आई उल्लेखनीय गिरावट के

फलस्वरूप, राज्य लगातार दूसरे वर्ष 2007-08 (लेखा) में 24,376 करोड़ रुपए का प्राथमिक अधिशेष उत्पन्न करने में समर्थ रहे।

3. संशोधित अनुमान: 2008-09

3.5 2008-09 (संअ) में राज्य वित्त पर समग्र समष्टि आर्थिक मंदी तथा कुछ राज्य सरकारों के लिए छोटे सीपीसी/एसपीसी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व व्यय संबंधी दायित्वों का असर पड़ा। फलस्वरूप, 2008-09 (बअ) की तुलना में 2008-09 (संअ) में राजस्व व्यय में हुई वृद्धि (5.2 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि (2.5 प्रतिशत) से अधिक थी, जिसके कारण बजट अनुमानों की तुलना में 2008-09 (संअ) में राजस्व अधिशेष में 62.4 प्रतिशत की गिरावट आई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष 2008-09 (बअ) के 0.5 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 (संअ) में 0.2 प्रतिशत रह गया।

3.6 राजस्व खाते पर, 2008-09 (बअ) की तुलना में 2008-09 (संअ) में राज्यों के अपने कर राजस्व (ओटीआर) में आई 1.9 प्रतिशत की गिरावट ने मुख्य रूप से राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों को प्रभावित किया। इस गिरावट का मुख्य कारण यह था कि राज्य सरकारें स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क, बिक्री कर/वैट तथा वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा यात्रियों एवं माल पर कर के बारे में बजट में लगाए गए अनुमान को 2008-09 (संअ) में वसूल नहीं कर सकीं। इसके विपरीत, अपने करेतर राजस्व (ओएनटीआर) के तहत राज्यों की वसूली में 2008-09 (बअ) की तुलना में 2008-09 (संअ) में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2008-09 (बअ) की तुलना में राजस्व व्यय में 35,756 करोड़ रुपए की वृद्धि का समग्र कारण पावर; शिक्षा, खेल तथा कला एवं संस्कृति; प्राकृति आपदाओं के लिए राहत; तथा परिवहन और संचार संबंधी विकास व्यय में वृद्धि था। राज्य सरकारें बजट अनुमानों की तुलना में 2008-09 (संअ) में अपने गैर विकास व्यय, मुख्य रूप से वचनबद्ध व्यय, को 7,765 करोड़ रुपए तक सीमित रख सकीं। 2008-09 (संअ) के अनुसार, प्रशासनिक सेवाओं तथा ब्याज भुगतान की मात्रा उनके बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 5,761 करोड़ रुपए तथा 2,163 करोड़ रुपए तक कम थी। कई राज्यों ने 2008-09 का बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय छोटे सीपीसी/एसपीसी के कारण मजदूरी और वेतन में हुई तत्काल वृद्धि को

स्पष्ट रूप से हिसाब में ले लिया था। फलस्वरूप, 2008-09 (संअ) में प्रशासनिक सेवाओं पर हुए व्यय की वृद्धि 2008-09 (बअ) के बजाए 2007-08 (लेखा) की तुलना में अधिक मुखर प्रतीत होती है (सारणी III.3)।

3.7 पूंजीगत परिव्यय में 2008-09 के बजट अनुमानों की तुलना में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तदनुसार, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय 2.6 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में 2008-09 (संअ) में 2.8 प्रतिशत था। पूंजीगत परिव्यय में हुई वृद्धि का मुख्य

कारण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और परिवहन क्षेत्र पर उच्चतर पूंजी खर्च था। राजस्व अधिशेष में कमी तथा पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के फलस्वरूप समेकित जीएफडी में बजट अनुमानों की तुलना में 2008-09 (संअ) में 29.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जीडीपी के अनुपात के रूप में, जीएफडी बजट अनुमानों के 2.0 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 (संअ) में 2.6 प्रतिशत हो गया। पिछले दो वर्षों में अधिशेष में रहने के बाद प्राथमिक घाटा 0.1 प्रतिशत के बजट अनुमानों की तुलना में 2008-09 (संअ) में जीडीपी का 0.7 प्रतिशत हो गया।

सारणी III.3 : प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2008-09 (बअ) की तुलना में 2008-09 (संअ)

(राशि करोड़ रु. में)

मद	2008-09 (बअ)	2008-09 (संअ)	घटबढ़		अंशदान * (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i + ii)	7,19,835	7,37,865	18,030	2.5	100.0
(i) कर राजस्व (क+ख)	5,09,957	5,03,878	-6,079	-1.2	-33.7
(क) अपना कर राजस्व	3,36,810	3,30,405	-6,405	-1.9	-35.5
जिसमें से: बिक्री कर	2,03,623	2,02,610	-1,013	-0.5	-5.6
(ख) केन्द्रीय करों में हिस्सा	1,73,147	1,73,473	326	0.2	1.8
(ii) गैर कर राजस्व	2,09,878	2,33,987	24,109	11.5	133.7
(क) राज्यों का अपना गैर कर राजस्व	66,848	79,614	12,765	19.1	70.8
(ख) केंद्र से अनुदान	1,43,030	1,54,373	11,343	7.9	62.9
II. राजस्व व्यय	6,91,409	7,27,165	35,756	5.2	100.0
जिसमें से:					
(i) विकास व्यय	4,02,810	4,45,889	43,080	10.7	120.5
जिसमें से:					
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,22,072	1,29,706	7,634	6.3	21.4
परिवहन एवं संचार	18,525	19,975	1,451	7.8	4.1
ईंधन	26,270	36,715	10,445	39.8	29.2
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	5,491	10,076	4,585	83.5	12.8
(ii) गैर विकास व्यय	2,68,665	2,60,899	-7,765	-2.9	-21.7
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवा	62,905	57,144	-5,761	-9.2	-16.1
पेंशन	62,729	66,938	4,210	6.7	11.8
ब्याज भुगतान	1,08,383	1,06,220	-2,163	-2.0	-6.0
III. पूंजीगत प्राप्तियां	1,75,306	1,86,201	10,894	6.2	100.0
जिसमें से:					
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	15,000	5,314	-9,686	-64.6	-88.9
IV. पूंजीगत व्यय	2,01,374	2,13,259	11,885	5.9	100.0
जिसमें से:					
पूँजी परिव्यय	1,45,159	1,57,254	12,095	8.3	101.8
जिसमें से:					
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय	44,525	48,727	4,202	9.4	35.4
परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	27,618	29,614	1,996	7.2	16.8
जापन मदें:					
राजस्व घाटा	-28,426	-10,701	17,725	-62.4	
सकल राजकोषीय घाटा	1,12,653	1,46,349	33,695	29.9	
प्राथमिक घाटा	4,270	40,128	35,858	839.7	

बअ : बजट अनुमान।

संअ : संशोधित अनुमान।

* : सुसंगत जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

नोट: सारणी III.2 का नोट देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

3.8 जैसी कि पहले चर्चा की जा चुकी है, राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण आई समग्र समष्टि आर्थिक मंदी की वजह से धक्का लगा। इसके अलावा, कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे सीपीसी/एसपीसी की सिफारिशों को लागू करना शुरू कर दिया जिसका असर उनके राजस्व व्यय पर पड़ा। फलस्वरूप, प्रमुख घाटा संकेतक 2008-09 (बअ) तथा 2007-08 (लेखा) की तुलना में 2008-09 (संअ) में बिगड़ गए। समग्र समष्टि आर्थिक मंदी का समाधान करने के लिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को इस बात की अनुमति प्रदान की कि वे 2008-09 के दौरान अपने राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाकर जीडीपी का 3.5 प्रतिशत कर सकते हैं (जैसा कि 2009-10 के अंतरिम केंद्रीय बजट में कहा गया था)। इस प्रकार, राज्य सरकारों को अतिरिक्त बाजार उधार बढ़ाकर जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक करने की अनुमति मिली। इस अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश का उपयोग पूंजीगत निवेश के लिए किया जाना था।

4. बजट अनुमान : 2009-10

3.9 2008-09 में राज्यों की राजकोषीय स्थिति में देखी गयी गड़बड़ी 2009-10 में और बढ़ती होने का अनुमान है जैसा कि प्रमुख घाटा संकेतकों के बजट अनुमानों से स्पष्ट है। मंद वृद्धि की अवधि के दौरान, आम तौर पर यह माना जाता है कि सरकारें समस्त मांग पैदा करने के लिए सार्वजनिक निवेश जुटाने का प्रयास करती हैं। भारतीय संदर्भ में, जहां इस प्रकार के प्रयास केंद्र सरकार के स्तर पर दिखाई देते हैं, वहीं कुछ राज्य सरकारों को छोड़कर राज्य स्तर पर ऐसे उच्च सार्वजनिक व्यय के सुस्पष्ट संकेत दिखाई नहीं देते। वस्तुतः, भारत जैसे ऐसे देशों के लिए विवेकाधीन राजकोषीय नीति अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है, जहां स्वचालित स्थिरताकारकों का प्रभाव उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निम्नतर पाया जाता है (बॉक्स III.1)।

3.10 वैश्विक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मंदी आने के साथ, कई उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने देशी मांग को बढ़ाने और आर्थिक

बॉक्स III.1 : राज्य स्तर पर स्वचालित राजकोषीय स्थिराकारकों की भूमिका

राजकोषीय नीतिगत साधनों में सरकारी खर्च और कराधान शामिल हैं। समय-समय पर, सरकारों को आर्थिक कार्यक्रमों को परिष्कृत करने के लिए कुछ सुस्पष्ट राजकोषीय उपाय करने पड़ते हैं, जिन्हें विवेकाधीन राजकोषीय नीति कहा जाता है। इसके विपरीत, स्वचालित स्थिराकारकों से ऐसे कार्यक्रम अभिप्रेत हैं जो मंदी के दौरान राजकोषीय नीति का स्वतः विस्तार करते हैं तथा तेजी के दौरान उसमें संकुचन लाते हैं और स्वरूप में वे प्रतिचक्र्रीय राजकोषीय नीति का एक प्ररूप हैं। उदाहरण के लिए, बेरोजगारी बीमा अथवा लाभ जिन पर सरकारें, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, मंदी के दौरान, जब बेरोजगारी की दर अधिक होती है, अधिक खर्च करती हैं, स्वचालित स्थिराकारकों का एक प्रकार है। इस प्रकार के कर, अंतरण और सरकारी खरीद अर्थव्यवस्था के स्वचालित स्थिराकारक हैं। इसी तरह, प्रगामी करों में आय की तुलना में ज्यादा तेजी से गिरावट आती है तथा करों में इस कमी का बहुल प्रभाव पड़ता है, स्वचालित उपभोग में कमी को अंशतः प्रतितुलित करते हुए, जिससे साम्य आय में उतनी अधिक अथवा उतनी तेजी से गिरावट नहीं आती जितनी हो सकती है। जैसे-जैसे गरीबों को अंतरण और उनके लिए सेवाएं बढ़ती हैं, जिनका भी बहुल प्रभाव पड़ता है, उनमें स्वचालित उपभोग में आई गिरावट को प्रतितुलित करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार, स्वचालित स्थिराकारकों की मौजूदगी में, कुल मांग में सामान्यतः उससे कम गिरावट आती है जितनी गिरावट अकेले स्वचालित उपभोग में गिरावट के कारण हुई होती।

यदि स्वचालित स्थिराकारक अच्छी तरह कार्य करें, तो वे अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिर बनाते हैं। तथापि, स्वचालित स्थिराकारकों का प्रभाव सरकार के आकार और साथ ही चक्र्रीय परिवर्तनों के प्रति करों एवं व्ययों की अनुक्रियात्मकता पर निर्भर होता है। इसके अलावा, यह कराधान प्रणाली की प्रगामिता की मात्रा और इस बात पर निर्भर होती है कि सामाजिक लाभ एवं बेरोजगारी बीमा के रूप में व्यवस्थाएं किस मात्रा तक मौजूद हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम सरकार की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वे काफी कम व्यापक हैं तथा स्वचालित स्थिराकारकों के प्रभाव की भी यही स्थिति है। इसे देखते हुए, स्वचालित स्थिराकारकों में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत छोटा होने की प्रवृत्ति होती है (जो छोटे सार्वजनिक क्षेत्र तथा कम व्यापक सामाजिक अंतरणों और कम प्रगामी आय करों को दर्शाता है), ताकि जहां कहीं साध्य हो विवेकाधीन नीतिगत अनुक्रिया संभावित रूप से आवश्यक होगी (घोष और अन्य, 2009)।

उत्पादन अंतर बढ़ने पर स्वचालित स्थिराकारक बजट घाटा बढ़ा देते हैं तथा प्रतिकूल स्थिति में उलटा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, मांग आघातों द्वारा कारित उत्पादन अंतराल होने की स्थिति में स्वचालित स्थिराकारक उपयुक्त राजकोषीय अनुक्रिया प्रदान करते हैं।

भारतीय संदर्भ में, स्वचालित स्थिराकारकों का सहगुणांक केंद्रीय वित्त के आंकड़ों के आधार पर लगभग 0.5 प्रतिशत होना अनुमानित था (भारि.बैंक, 2009)। चूंकि भारत में कुल सरकारी व्यय (केंद्र और राज्य दोनों) का लगभग 60 प्रतिशत राज्यों से होता है, अतः यह महत्वपूर्ण है कि राज्य वित्त के आंकड़ों का भी उपयोग करते हुए स्वचालित स्थिराकारकों के प्रभाव का अनुमान लगाया जाए। रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त पद्धति (2009) का अनुसरण करते हुए, स्वचालित स्थिराकारकों का वर्णन राज्यों के चक्र्रीय घाटे में बदलाव के रूप में इस प्रकार किया जा सकता है:

$$AS_t = \Delta COB_t = \Delta [(\beta_{nt} - \beta_{ot}) * \text{उत्पादन अंतराल}]$$

जहां $\beta_{nt} = (E_{nt} - 1) * (R/Y_t)$ तथा $\beta_{ot} = (E_{ot} - 1) * (G/Y_t)$, तथा E_{nt} एवं E_{ot} से गैर ब्याज राजस्व और उत्पादन अंतराल के संबंध में व्यय लोच अभिप्रेत है तथा इन्हें समय के भीतर स्थिर माना जाता है तथा R/Y_t और G/Y_t क्रमशः जीडीपी के प्रति प्राथमिक राजस्व और व्यय के अनुपात हैं। राज्य वित्त के संदर्भ में स्वचालित स्थिराकारकों की अधिक भूमिका प्रतीत नहीं होती क्योंकि 2008-09 और 2009-10 के लिए इनका अनुमान क्रमशः 0.07 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत लगाया गया है। बौशगार्ड तथा सिमांस्की (2009) ने यह तर्क दिया कि राजकोषीय संतुलन संबंधी सामान्य नियम स्थिराकारकों के विरुद्ध काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि चक्र्रीय राजकोषीय संतुलन बिगड़ जाए, तो विवेकाधीन सख्ती को प्रतितुलित करने के लिए एक राजकोषीय संतुलन संबंधी नियम अथवा कोई ऐसा नियम अपेक्षित होगा जिसमें सांकेतिक रूप में या जीडीपी के प्रतिशत में संतुलन की अधिकतम सीमा शामिल हो। उप-राष्ट्रिक स्तर पर लागू किए गए बजट नियमों के लिए यह लागू होता है। इससे निपटने के लिए, उनका सुझाव है कि वहां पर निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए: (i) चक्र पर संतुलन नियम; तथा (ii) वास्तविक संतुलन के बजाए संरचनागत संतुलन संबंधी नियम। इस प्रकार की नियमों से यह सुनिश्चित होता है कि राजकोषीय नीति प्रतिचक्र्रीय है जिसमें स्वचालित स्थिराकारकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

संदर्भ :

1. घोष. अतीश आर., एम. चमोन, सी. क्रोवे, जे. आइ. किम तथा जे. डी. ओस्त्री (2009), 'कोपिंग विथ दि क्राइसिस : पॉलिसी ऑप्शन फॉर इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज', *आईएमएफ स्टाफ पोजीशन नोट सं. एसपीएन/09/08*।
2. बौशगार्ड, थॉमस और स्टीवेन ए. स्यामंस्की (2009), 'ऑटोमैटिक स्टैबिलाइजर्स', *आईएमएफ स्टाफ नोट सं. एसपीएन/09/23, सितंबर*।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (2009), वार्षिक रिपोर्ट 2008-09।

कार्यकलापों को पुनर्जीवित करने के लिए राजकोषीय उत्प्रेरक उपायों की घोषणा की। हालांकि राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय बड़े तौर पर राष्ट्रीय

सरकारों द्वारा किए गए हैं, कुछ देशों में उप-राष्ट्रीय/प्रांतीय स्तरों पर भी राजकोषीय उत्प्रेरक पैकेज बनाए गए हैं (बॉक्स III.2)।

बॉक्स III.2: उप-राष्ट्रिक स्तर पर राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय : देशवार परिदृश्य

वित्तीय और आर्थिक संकट के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने में राजकोषीय नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान वित्तीय संकट की अनुक्रिया में अपनाए गए उपायों में विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, अंतर-बैंक उधार के लिए सरकारी गारंटी, वित्तीय संस्थाओं के पुनःपूंजीकरण, खुदरा जमा बीमा की व्याप्ति में वृद्धि, कर राहत, बड़े हुए सार्वजनिक व्यय तथा आस्ति राहत योजनाओं सहित, शामिल है। विवेकाधीन राजकोषीय उत्प्रेरणा वित्तीय संकट के आलोक में मांग बढ़ाने के प्रति एक नीतिगत अनुक्रिया के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कई देशों ने विवेकाधीन राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कर कटौतियों एवं नए खर्चों का मिश्रण शामिल है, जिनमें से बाद वाला उपाय कुल का लगभग दो तिहाई है। संघीय स्तर पर उत्प्रेरक उपायों के अलावा, कुछ देशों ने राज्य और स्थानीय सरकारों में भी आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए विवेकाधीन राजकोषीय नीतियों का अनुसरण किया है। जब खर्च के बड़े हिस्से के कारण उप-राष्ट्रिक सरकारों के पास कुंजी रहती है, उस स्थिति में केंद्र सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से स्थिरता लाने में कम समर्थ होती है। यदि राजकोषीय समायोजन जरूरी हो, तो ऐसा करने के लिए केंद्र के पास सिर्फ एक सीमित गुंजाइश रहती है क्योंकि यह खर्च के सिर्फ एक छोटे हिस्से का नियंत्रण करता है। कई देशों ने, उदाहरण के लिए लातीनी अमरीका ने, ऐसी कठिनाई महसूस की है। इसी तरह, जब राजस्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रबंधन उप-राष्ट्रिक सरकारों करती हैं, उस समय केंद्र के पास स्थिरकरण और पुनर्वितरण के प्रयोजनों के लिए अथवा खर्च संबंधी अपने उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। उदाहरण के लिए, ऐसा कुछ औद्योगिक देशों में हो रहा है जो तेजी से बढ़ रही आयु संबंधी खर्च की जरूरतें महसूस कर रहे हैं, परंतु जिनमें राजस्व विभाजन के वर्तमान नियमों के अंतर्गत केंद्र एवं उप-राष्ट्रिक सरकारों के व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों में अंतरीय गतिशीलता को हिसाब में नहीं लिया जाता।

राज्य स्तर पर, राजकोषीय उत्प्रेरक प्रस्तावों के विभिन्न प्रारूप हैं। संयुक्त राज्य में, अमरीकी वसूली और पुनर्निवेश अधिनियम नौकरी पैदा करने तथा दीर्घकालिक वृद्धि संभाव्यता को सुदृढ़ करने के लिए निवेश और कर कटौतियों का एक सशक्त मिश्रण है। कर कटौतियों और अंतरणों के माध्यम से आर्थिक चरण द्वारा राज्य बजटों में स्थिरता लाने और आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करने में मदद करना अभिप्रेत है। अमरीका के कुछ राज्य यथा कनेक्टिकट, इलिनोइस और पेन्सिलवेनिया, जिन्होंने कर में छूट का प्रस्ताव किया है, संघीय उत्प्रेरक पैकेजों पर घनिष्ठ रूप से प्रतिरूपित है। अलबामा तथा अरिजोना जैसे अन्य राज्यों में कर कटौतियों को संघीय पैकेज के साथ संबद्ध किया गया है। उत्प्रेरक विधेयक में ऐसे कई विभिन्न कार्यक्रम भी शामिल हैं जो स्थानीय सरकार की पहलों के लिए निधीयन उपलब्ध कराते हैं। उत्प्रेरक पैकेज में राज्यों को संघीय सहायता निधि के रूप में 330 बिलियन अमरीकी डालर का प्रावधान है ताकि राज्य सरकारों के सामान्य निधिगत खर्च को प्रतिस्थापित अथवा प्रतिलुप्त किया जा सके, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों पर राज्यों के खर्च की अनुपूर्ति की जा सके या उसे बढ़ाया जा सके तथा राज्यों और अन्य संस्थाओं (यथा स्थानीय सरकारों) के लिए विवेकाधीन अनुदान दिया जा सके।

कनाडा की आर्थिक कार्य योजना का उद्देश्य स्थायी रूप से करों में कटौती करना, बेरोजगारी बीमा और प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाना, बेरोजगारी बीमा कार्य-साझेदारी संबंधी कार्यक्रम बढ़ाना तथा नौकरियों के लिए बुनियादी ढांचा संबंधी खर्च व्यापक रूप से बढ़ाना था। प्रांतों को संघीय अंतरण सर्वोच्च स्तर पर लाये गये तथा आर्थिक कार्य योजना द्वारा प्रांतों एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों को 2012 तक अपनी कंपनी कर दरें घटाकर 10 प्रतिशत तक लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा अधिकांश प्रांत उस दिशा में अग्रसर हैं। अतः 2012-13 तक कनाडा में लगभग 25 प्रतिशत की संयुक्त संघीय-प्रांतीय-क्षेत्रीय कंपनी कर दर लागू होगी, जिसमें से 15 प्रतिशत संघ के लिए तथा 10 प्रतिशत प्रांतों के लिए होगा। कार्य योजना के महत्वपूर्ण तत्वों में प्रांतीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के भागीदारों के साथ सहयोग करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्प्रेरणा एक समयबद्ध रूप में प्रदान की जाए तथा उसे उसके लिए दिया जाए जहां उसकी सर्वाधिक जरूरत हो। एक अनुमान के अनुसार, प्रांतीय वचनबद्धताएं कनाडा की अर्थव्यवस्था में लगाये गये उत्प्रेरक डालर को बढ़ाकर 30 बिलियन डालर, अथवा वर्तमान राजकोषीय वर्ष में उसके जीडीपी के 2 प्रतिशत से अधिक कर देंगी।

चीन के 4 ट्रिलियन युआन (585 बिलियन अमरीकी डालर) के उत्प्रेरणा पैकेज में से लगभग 1.18 ट्रिलियन युआन (263 बिलियन अमरीकी डालर) सीधे केंद्र सरकार से प्राप्त होगा, जबकि शेष निधियां प्रांतीय और स्थानीय सरकारों, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों तथा नीतिगत एवं वाणिज्य बैंक ऋणों द्वारा प्रदान की जाएंगी। लगभग 100 बिलियन युआन (14.6 बिलियन अमरीकी डालर) उत्प्रेरक निधियां कार्यान्वयन के लिए स्थानीय सरकार की परियोजनाओं में लगायी जाएंगी। तथापि, परियोजना के कार्यान्वयन और निष्पादन में अंतिम निर्णय स्थानीय मंत्रालय एवं प्रांतीय अधिकारियों का होगा। प्रांतीय सरकारों ने अपने स्वयं के उत्प्रेरणा पैकेजों की घोषणा की है। मांग को बढ़ाने के लिए, देशव्यापी कार्यक्रम के लिए होम इलेक्ट्रॉनिक्स, जो होम अप्लाइन्स खरीदने वाले ग्रामीण निवासियों के लिए 13 प्रतिशत की नकद सब्सिडी प्रदान करता है, का विस्तार कर संपूर्ण देश को कवर कर लिया गया है। उत्पादों की जिस सूची पर प्रांतीय सरकारें सब्सिडी प्रदान करती हैं, उसका विस्तार करके उसमें मोटर साइकल, वॉटर हीटर, कंप्यूटर तथा एअरकंडिशनर शामिल किए गए हैं। उत्प्रेरणा पैकेजों के लिए संसाधन जुटाने में प्रांतीय सरकारों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2009 में 23 प्रांतों एवं स्वायत्त क्षेत्रों की ओर से 111.8 बिलियन युआन के बांडों की बिक्री की। इसके अलावा, स्थानीय सरकारों की राजकोषीय क्षमता बढ़ाने के लिए न्यूनतर पूंजीकृत पूंजी संबंधी अपेक्षा जैसे अनेक उपाय किए गए।

जर्मनी में, शिक्षा एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए 2009 तथा 2010 में 14 बिलियन यूरो के संघ सरकार के पैकेज में से, 10 बिलियन यूरो का उपयोग नगरपालिका संबंधी बुनियादी ढांचा, विशेष रूप से अस्पताल, शहरी विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा के आधुनिकीकरण तथा नगरपालिका की सड़कों के लिए ध्वनि उपशामक उपाय के लिए नगरपालिका संबंधी निवेश कार्यक्रमों पर किया जाएगा। संघ सरकार ने व्यय पर 20 प्रतिशत की कर कटौती का तथा स्वास्थ्य एवं दीर्घावधि देखरेख बीमा के लिए कर कटौतियों का भी प्रावधान किया है।

रूस में, तेल निर्यात शुल्क एवं संघीय कंपनी लाभ कर दर को 24 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने के साथ, प्रांतीय प्राधिकारियों को क्षेत्र की आर्थिक स्थिति के अनुसार 5 से 15 प्रतिशत स्थानीय कर दर निर्धारित करने की अनुमति दी गयी। 1 जनवरी 2009 से, राज्य प्राधिकारियों द्वारा वसूल किए गये सभी उत्पाद कर क्षेत्रीय बजट में लगाए जाते हैं, जबकि पहले इसकी बजाए इस कर का सिर्फ दो तिहाई उक्त कार्य में लगाने की प्रथा थी।

ब्राजील ने उत्प्रेरणा के तहत बुनियादी ढांचा की उन परियोजनाओं में निवेश करने पर फोकस किया जिनमें संघ और नगरपालिका दोनों की सरकारों ने भाग लिया हो ताकि अंतरराष्ट्रीय संकट से संघर्ष किया जा सके और वृद्धि त्वरण योजना के लिए उद्दिष्ट किसी खर्च में कोई कटौती न होने पाए। इसके अलावा, बेरोजगारी बीमा संबंधी अदायगी बढ़ाकर उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो पांच से सात महीनों के लाभ सहित बेरोजगारी के ऊंचे स्तरों को झेल रहे हैं।

आस्ट्रेलिया ने नौकरियों को समर्थन देने, विद्यालयों, आवास एवं सामुदायिक बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए 42 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर की उत्प्रेरणा योजना बनायी। इसमें से, 800 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर का आबंटन क्षेत्रीय एवं स्थानीय सामुदायिक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम के लिए किया गया ताकि सामुदायिक केंद्रों, टाउन हॉल, पार्क और खेल के मैदान, पूल और खेल की सुविधाओं जैसे स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं नवीकरण के लिए स्थानीय सरकारों का निधीयन किया जा सके। स्थानीय समुदायों को इस प्रकार तेजी से निधियां प्रदान किए जाने से अल्पावधि से दीर्घावधि के भीतर विनिर्दिष्ट समुदायों के लिए स्थानीय नौकरियां मिलने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय एवं स्थानीय सामुदायिक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम का निधीयन स्थानीय सरकार के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सौंपा जा रहा है।

संदर्भ :

1. आइएमएफ (2009), सार्वजनिक वित्त की स्थिति: 2008 के संकट के बाद संभावना एवं मध्यावधि नीतियां।
2. विभिन्न सरकारों की वेबसाइटें।

3.11 भारत में भी कुछ राज्य सरकारों ने समस्त मांग बढ़ाने के लिए कतिपय क्षेत्रों के लिए न्यूनतर कर दरों और उच्चतर खर्च की

परिकल्पना करते हुए राजकोषीय उत्प्रेरक पैकेज घोषित किए हैं (बॉक्स III.3)। 2009-10 के दौरान राज्य वित्त को प्रभावित करने, समस्त

बॉक्स III.3: भारत में राज्य सरकार के स्तर पर राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय

हाल के वैश्विक वित्तीय संकट तथा फलस्वरूप उत्पन्न समष्टि आर्थिक वैश्विक मंदी के कारण उन्नत तथा उभरते दोनों बाजारों में कई देशों के लिए यह जरूरी होगा कि वे देशों अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय करें। कई देशों ने राजकोषीय उत्प्रेरक पैकेज पहले ही लागू कर दिए हैं/उनकी घोषणा कर दी है। आम तौर पर यह माना जाता है कि उप-राष्ट्रिक स्तर पर सरकारों में संघीय सरकार को दिए गए घाटा संबंधी व्यय के लचीलेपन का अभाव होता है, अतः उनके पास व्यवसाय चक्र में आई मंदी से निपटने के लिए साधन और अधिक सीमित होते हैं। तथापि, जिन देशों में उप-राष्ट्रिक सरकारें कुल सरकारी खर्च (केंद्र और राज्य दोनों) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च करती हैं, उनमें उप-राष्ट्रिक स्तर पर राजकोषीय नीति सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर कुल मांग में तेजी लाकर एक प्रतिचक्र्रीय भूमिका निभा सकती है।

भारतीय संदर्भ में, राज्यों को सौंपे गए बड़े दायित्वों को देखते हुए, राज्य सरकार के समेकित व्यय सरकारी क्षेत्र के कुल व्यय (केंद्र और राज्य) का एक बड़ा भाग होते हैं, जो आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अर्जेंटीना, यूएसए तथा जर्मनी जैसे कई अन्य देशों में उच्चतर है (विश्व बैंक, 2005)। केंद्र एवं राज्य के समेकित व्यय का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों का होता है जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। जहां राज्य सरकारें सरकारी क्षेत्र की कुल प्राप्तियों का लगभग एक तिहाई इकट्ठा करती हैं, वे सामाजिक सेवाओं पर होने वाले कुल व्यय के तीन चौथाई से अधिक का और आर्थिक सेवाओं पर होने वाले व्यय के आधे से अधिक का वहन करती हैं। इस प्रकार, आर्थिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने में राज्य सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सार्वजनिक वित्त में राज्य सरकारों के सापेक्ष महत्व को देखते हुए, राज्य सरकारों के राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय केंद्र के राजकोषीय उत्प्रेरक उपायों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को सुकर बना सकते हैं।

आम तौर पर यह माना जाता है कि राजकोषीय प्राधिकरण प्रतिचक्र्रीय राजकोषीय नीति अपनाकर इस चुनौती को सर्वोत्तम रूप में पूरा कर सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जो बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय अंतरणों में उच्चतर हिस्से, राजस्व बढ़ाने के लिए राज्यों के अपने प्रयासों, राजस्व व्यय के युक्तियुक्तकरण तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में चक्रिय उछाल जिसका राज्य वित्त पर ऊर्मिल प्रभाव पड़ा, को दर्शाता है (गोपीनाथ, 2009)। इस प्रकार, सरकारों के एफआरएल के अनुरूप राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया के प्रति वचनबद्धता के साथ अधिकांश सरकारें विगत कुछ वर्षों में अपनी समग्र राजकोषीय स्थिति में काफी सुधार लाने में समर्थ रहीं। फलस्वरूप, राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को समग्र समष्टि आर्थिक मंदी से बचाने के लिए प्रतिचक्र्रीय राजकोषीय उपाय करने के लिए राज्यों के पास कुछ राजकोषीय गुंजाइश उपलब्ध थी।

अधिकांश प्रतिचक्र्रीय उपायों का संबंध राज्य वित्त के व्यय पक्ष से है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र ने राज्यों को अतिरिक्त बाजार उधार जुटाने की अनुमति दी, इस प्रकार उसने जीएफडी की सीमा 2008-09 में जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2009-10 में जीएसडीपी का 4.0 प्रतिशत कर दी। राज्य सरकारों का समेकित व्यय 2007-08 (लेखा) के 14.8 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान बढ़कर 25.0 प्रतिशत हो गया। 2009-10 के लिए, राज्य सरकारों ने 2008-09 (संअ) की तुलना में अपने सकल व्यय में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि का बजट अनुमान लगाया है। तथापि, राज्य सरकारों के सकल व्यय में हुई वृद्धि मोटे तौर पर 2008-09 (संअ) और 2009-10 (बअ) में राजस्व व्यय के कारण है।

2008-09 तथा 2009-10 में राजस्व व्यय में हुई वृद्धि का आंशिक कारण कई राज्य सरकारों द्वारा छोटे सीपीसी/एसपीसी का कार्यान्वयन है जो मांग को बढ़ाकर प्रतिचक्र्रीय उपाय का भी कार्य करेगा। तथापि, 2009-10 के लिए उप-राष्ट्रिक स्तर पर स्पष्ट प्रतिचक्र्रीय राजकोषीय उपाय के बहुत कम साक्ष्य हैं क्योंकि सिर्फ कुछ राज्य सरकारों ने समर्पित राजकोषीय उत्प्रेरक पैकेजों की घोषणा की है। इन राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल और हरियाणा शामिल हैं। केरल सरकार ने 10,000 करोड़ रु. के एक उत्प्रेरक पैकेज की घोषणा की जिसे सीधे सरकार और अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा ऋण अथवा अनुदान के जरिए बुनियादी ढांचा के विकास के लिए दो वर्षों में खर्च किया जाना है। 5,034 करोड़ रु. राशि के उत्प्रेरक पैकेज के तहत व्यय का एक बड़ा भाग 2009-10 के दौरान खर्च किए जाने की आशा है, जिसमें से लगभग 89 प्रतिशत के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में बजट प्रावधान किया गया है। 2009-10 के बजट की घोषणा करते हुए, हरियाणा सरकार ने एक समर्पित आर्थिक उत्प्रेरक पैकेज शुरू करने का प्रस्ताव किया जिसके तहत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विनिर्दिष्ट परियोजनाएं शुरू करके एक केंद्रित रूप में अगले दो सालों में लगभग 1,500 करोड़ रु. खर्च करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, पश्चिम बंगाल की सरकार ने 23 फरवरी 2009 को 5,106 करोड़ रु. के उत्प्रेरक पैकेज की घोषणा की जिसके तहत आवास, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति, हेल्थकेयर और शिक्षा पर खर्च करने पर फोकस किया जाएगा। तथापि, केरल और हरियाणा से भिन्न, पश्चिम बंगाल सरकार के उत्प्रेरक पैकेज में ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजीगत व्यय की बजाए राजस्व व्यय की जरिए मांग बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा।

हालांकि राज्य स्तर पर किसी बड़े उत्प्रेरक-संबद्ध कर उपाय की घोषणा नहीं की गयी है, कुछ राज्यों ने कतिपय कर छूटों/कटौतियों की घोषणा की है। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित उत्प्रेरक उपायों के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री तथा पैकेजिंग सामग्री जैसी निविष्टियों पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की है। अन्य प्रमुख राजकोषीय उपायों में (i) सीएसटी दर में कटौती; तथा (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए विद्युत शुल्क के 75 प्रतिशत से छूट शामिल है। अर्थव्यवस्था में आई मंदी को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य में वहनीय आवास तथा भू-संपदा क्षेत्र में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक पैकेज की घोषणा की। कर्नाटक में, धान, चावल, गेहूँ तथा दालों जैसे खाद्यान्नों पर उपलब्ध वैट संबंधी छूट को एक और वर्ष अर्थात् 2009-10 के लिए बढ़ा दिया गया है। इमली तथा शिक्काई, नारियल और सूखे नारियल के पावडर एवं सुपारी जैसे कृषि एवं वन उपज के संबंध में 4 प्रतिशत की वर्तमान दर को घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। कुछ अन्य मदों पर कर समाप्त कर दिया गया है। कर संबंधी अन्य उपाय इस प्रकार हैं - (i) मछुवारों द्वारा उनके नावों में उपयोग के लिए 75,000 किलो लीटर तक डीजल के लिए बिक्री कर से छूट; तथा (ii) कर्नाटक में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विलासिता कर में कुछ छूट। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों के लिए हितकर कई उत्प्रेरक योजनाओं की घोषणा की है तथा व्यापार एवं उद्योग के लिए अनेक उपाय प्रस्तावित किए हैं। उदाहरण के लिए, 10 लाख रु. से कम वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को व्यवसाय कर से छूट दी गयी है, तथा अचल संपत्तियों के बिक्री विलेखों पर स्टांप शुल्क 7.0 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में, सरकार ने 10 लाख रु. से कम वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए व्यवसाय कर से छूट की घोषणा की है। इसके अलावा, बिक्री विलेखों पर स्टांप शुल्क में 0.5 प्रतिशत अंकों की कमी करने का प्रस्ताव है।

कुल मिलाकर, 2008-09 (संअ) के 32.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में राज्य सरकारों के सकल पूंजी परिव्यय में 1.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि होने का बजट

जारी...

समाप्त

अनुमान है। यद्यपि, कुछ राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक तथा जम्मू और कश्मीर ने प्रतिचक्रिय उपायों के रूप में समर्पित राजकोषीय उत्प्रेरक पैकेजों की घोषणा नहीं की है, तथापि उन्होंने 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 में काफी अधिक पूंजी परिव्यय का बजट प्रावधान किया है। इसके विपरीत कुछ राज्यों यथा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम ने 2009-10 में अपने पूंजी परिव्यय में कमी करने का बजट प्रावधान किया है। हालांकि अतिरिक्त खर्च करने के लिए कुछ राज्यों के पास पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश है, उन्होंने 2009-10 के अपने बजट में अपने व्यय में सिर्फ थोड़ी वृद्धि दिखाकर चौकस रख अपनाया है। कर और करेतर राजस्व वसूलियों में प्रत्याशित मंदी तथा केंद्र से न्यूनतर न्यागमन को देखते हुए,

राज्यों ने स्पष्ट रूप से यह योजना बनायी है कि वे प्रतिचक्रिय राजकोषीय उपायों के रूप में बड़े खर्च की योजनाओं का प्रस्ताव कर एफआरएल के तहत अपनी वचनबद्धता से न हटें।

संदर्भ:

1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।
2. गोपीनाथ, श्यामला (2009), 'उप-राष्ट्रिक राजकोषीय सुधार और ऋण प्रबंधन - भारतीय अनुभव', रिजर्व बैंक मासिक बुलेटिन, अगस्त।
3. विश्व बैंक (2005), भारत में राज्य राजकोषीय सुधार, प्रगति और संभावनाएं, मैकमिलन इंडिया लि।

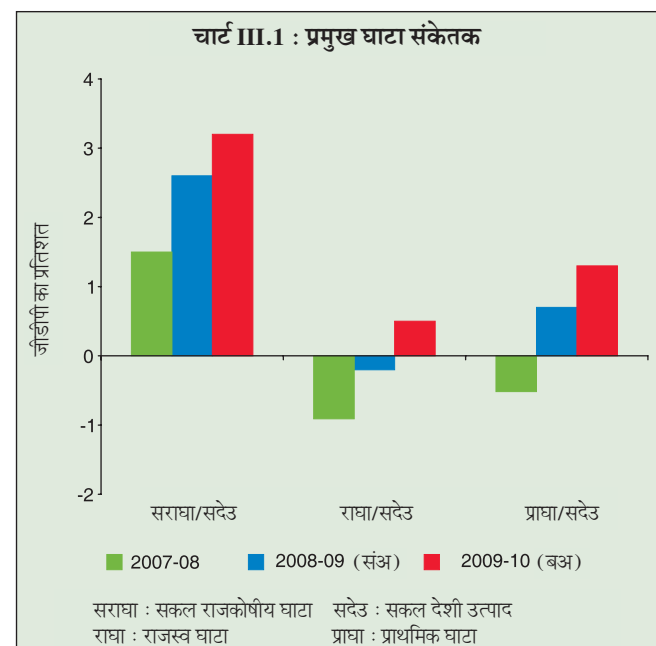
मांग के लिए सकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना रखने वाला एक अतिरिक्त कारक छोटे सीपीसी/एसपीसी का कार्यान्वयन है।

बजट अनुमान 2009-10 - प्रमुख घाटा संकेतक

3.12 राज्य सरकारों का समेकित राजस्व खाता पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिशेष में बने रहने के बाद 2009-10 के लिए घाटे में चले जाने का बजट अनुमान है, जिसका कारण राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय में बजट में की गई उच्चतर वृद्धि है। 2008-09 (संअ) में 10,701 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष की तुलना में 2009-10 में समेकित राजस्व घाटा 32,295 करोड़ रुपए होने का बजट अनुमान है। जीडीपी के अनुपात के रूप में, समेकित स्तर पर 2008-09 (संअ) में 0.2 प्रतिशत का राजस्व अधिशेष 2009-10 में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के घाटे में चले जाने का बजट अनुमान है। 2009-10 (बअ) के दौरान राज्य सरकारों के राजस्व लेखों में आई गिरावट (i) प्रशासनिक सेवाओं, (ii) पेंशन, तथा (iii) ब्याज भुगतान पर किए गए उच्चतर व्यय के साथ कर राजस्व में आई मंदी के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। राजस्व खाता अधिशेष से घाटे में चले जाने तथा 2009-10 (बअ) में उच्चतर निवल उधार के फलस्वरूप, समेकित स्तर पर जीएफडी 2008-09 (संअ) में जीडीपी के 2.6 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर जीडीपी का 3.2 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है। कुल रूप में, जीएफडी के आकार में 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 (बअ) में 36.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का बजट अनुमान है। बढ़ते हुए जीएफडी के अनुरूप, प्राथमिक घाटा 2008-09 (संअ) के 40,128 करोड़ रुपए से दुगुना होकर 2009-10 (बअ) में 83,083 करोड़ रुपए हो जाने की भी संभावना है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, समेकित प्राथमिक घाटा 2008-09 (संअ) के 0.7 प्रतिशत की तुलना

में 2009-10 (बअ) में 1.3 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है (सारणी III.4 और चार्ट III.1)।

3.13 तीन साल के बाद राजस्व घाटा फिर से होना तथा सकल राजकोषीय घाटे की मात्रा में वृद्धि इस बात का संकेत देती है कि उधार लिए गए संसाधन 2009-10 के दौरान पूंजीगत निवेश की बजाए चालू व्यय के लिए उपयोगी होंगे। 2009-10 (बअ) में, सकल राजकोषीय घाटे के लगभग 16 प्रतिशत का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया जाएगा। यह राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता का मुद्दा उभारता है तथा यह दर्शाता है कि सरकारी उधार के इस अनुपात से इतनी मात्रा में आस्तियों का सृजन नहीं होगा जिससे राज्यों के कर्ज को चुकाने के लिए भविष्य में प्रतिलाभ प्राप्त हो। तथापि, 16 प्रतिशत का राजस्व



सारणी III.4 : प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 (बअ)

(राशि करोड़ रु.में)

मद	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)	घटबढ़		अंशदान* (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	7,37,865	8,04,943	67,078	9.1	100.0
(i) कर राजस्व (क+ख)	5,03,878	5,52,243	48,365	9.6	72.1
(क) अपना कर राजस्व	3,30,405	3,66,523	36,118	10.9	53.8
जिसमें से: बिक्री कर	2,02,610	2,25,009	22,399	11.1	33.4
(ख) केन्द्रीय करों में हिस्सा	1,73,473	1,85,720	12,247	7.1	18.3
(ii) गैर कर राजस्व	2,33,987	2,52,701	18,713	8.0	27.9
(क) राज्यों का अपना गैर कर राजस्व	79,614	84,017	4,403	5.5	6.6
(ख) केंद्र से अनुदान	1,54,373	1,68,683	14,310	9.3	21.3
II. राजस्व व्यय	7,27,165	8,37,238	1,10,074	15.1	100.0
जिसमें से:					
(i) विकास व्यय	4,45,889	4,92,443	46,553	10.4	42.3
जिसमें से:					
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,29,706	1,54,781	25,075	19.3	22.8
ईंधन	36,715	32,020	-4,695	-12.8	-4.3
ग्रामीण विकास	30,040	43,147	13,107	43.6	11.9
(ii) गैर विकास व्यय	2,60,899	3,21,907	61,008	23.4	55.4
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवा	57,144	74,389	17,245	30.2	15.7
पेंशन	66,938	87,220	20,282	30.3	18.4
ब्याज भुगतान	1,06,220	1,16,427	10,207	9.6	9.3
III. पूंजीगत प्राप्तियां	1,86,201	2,25,114	38,914	20.9	100.0
जिसमें से:					
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	5,314	2,216	-3,098	-58.3	-8.0
IV. पूंजीगत व्यय	2,13,259	2,18,540	5,281	2.5	100.0
जिसमें से:					
पूँजी परिव्यय	1,57,254	1,60,247	2,993	1.9	56.7
जिसमें से:					
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय	48,727	45,905	-2,821	-5.8	-53.4
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	18,728	15,478	-3,251	-17.4	-61.6
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	29,614	28,859	-755	-2.5	-14.3
ज्ञापन मदें:					
राजस्व घाटा	-10,701	32,295	42,996	-401.8	
सकल राजकोषीय घाटा	1,46,349	1,99,510	53,161	36.3	
प्राथमिक घाटा	40,128	83,083	42,954	107.0	

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

* : सुसंगत जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

नोट: सारणी III.2 का नोट देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

घाटा-सराघा अनुपात 1998-99 से 2002-03 के लगभग 60 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। फिर भी यह उस कमजोरी को रेखांकित करता है जो 2009-10 के दौरान राज्य सरकार के वित्त की रूपरेखा में उभरी हालांकि इसका कारण मंद समष्टि आर्थिक स्थितियां तथा संशोधित रोजगार और वेतन का कार्यान्वयन है। तथापि, यह अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति तेज होने तथा राजस्व की उछाल में और सुधार आने तक के लिए एक अस्थायी विपथन है।

राजस्व प्राप्तियां

3.14 समष्टि आर्थिक मंदी का प्रभाव इस तथ्य से देखा जा सकता है कि राज्यों ने 2008-09 (संअ) में दर्ज की गई 18.3 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 (बअ) में राजस्व प्राप्तियों में 9.1 प्रतिशत की सिर्फ एक मंद वृद्धि का बजट प्रावधान किया है। राजस्व प्राप्तियों के सभी स्रोतों में वृद्धि (राज्यों के अपने करेतर राजस्व को छोड़कर) पिछले साल की तुलना में 2009-10 (बअ) में कम रहने का अनुमान

है। उदाहरण के लिए, राज्यों का अपना कर राजस्व 2008-09 (संअ) के 15.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 10.9 प्रतिशत बढ़ जाने का बजट अनुमान है, जबकि केंद्रीय करों के उनके हिस्से में पिछले वर्ष हुई 14.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 7.1 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में हुई मंद वृद्धि केंद्रीय स्तर पर बजट में अनुमानित सकल कर राजस्व में हुई न्यूनतर वृद्धि के अनुरूप है। मुख्य रूप से केंद्र के अनुदान के कारण 2009-10 के दौरान राज्यों के समेकित करेतर राजस्व में वृद्धि में कमी आने का बजट अनुमान है। केंद्र से राज्यों को अनुदान में 2008-09 (संअ) में हुई 42.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि की तुलना में 2009-10 में 9.3 प्रतिशत वृद्धि का बजट अनुमान है। तथापि, राज्यों के अपने करेतर राजस्व में 2008-09 (संअ) में हुई 3.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 में 5.5 प्रतिशत की थोड़ी उच्चतर वृद्धि का बजट अनुमान है (सारणी III.5 तथा परिशिष्ट सारणी 3)।

3.15 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां (आरआर-जीडीपी) 2008-09 (संअ) के 13.2 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर 2009-10 में 13.1 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। इस कमी ने केंद्र से राज्यों को कर राजस्व के सांविधिक अंतरण को प्रभावित किया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 3.1 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 (बअ) में 3.0 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। तथापि, जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र से राज्यों को सहायता अनुदान - जो केंद्रीय अंतरणों का विवेकाधीन घटक है - 2008-09 (संअ) के 2.8 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 (बअ) में 2.7 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। कुल मिलाकर, राज्यों को केंद्र से अंतरण 2008-09 (संअ) में जीडीपी के 5.9 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 में 5.7 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। राज्यों के अपने राजस्व वसूली पक्ष में, जीडीपी के प्रति उनके अपने कर राजस्व का अनुपात इसी अवधि के दौरान 5.9

सारणी III.5: राज्य सरकारों की सकल प्राप्तियां

(राशि करोड़ रु. में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	घटबढ़ (प्रतिशत)	
	(औसत)						(संअ)	(बअ)	स्तंभ 8/7	स्तंभ 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सकल प्राप्तियां (1+2)	1,23,415 (16.0)	2,31,618 (14.8)	4,40,076 (17.1)	5,95,627 (16.1)	6,73,605 (15.7)	7,65,735 (15.5)	9,24,066 (16.6)	10,30,057 (16.7)	20.7	11.5
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	92,679 (12.0)	1,65,416 (10.7)	2,85,662 (11.1)	4,31,020 (11.6)	5,30,556 (12.4)	6,23,748 (12.6)	7,37,865 (13.2)	8,04,943 (13.1)	18.3	9.1
क. राज्यों का अपना राजस्व	55,546 (7.2)	1,03,542 (6.7)	1,78,171 (6.9)	2,60,246 (7.0)	3,15,812 (7.4)	3,63,723 (7.4)	4,10,019 (7.4)	4,50,540 (7.3)	12.7	9.9
i. राज्यों का अपना कर	41,158 (5.3)	78,733 (5.1)	1,41,933 (5.5)	2,12,307 (5.7)	2,52,548 (5.9)	2,86,546 (5.8)	3,30,405 (5.9)	3,66,523 (5.9)	15.3	10.9
ii. राज्यों का अपना गैर कर	14,388 (1.8)	24,809 (1.6)	36,238 (1.4)	47,939 (1.3)	63,263 (1.5)	77,178 (1.6)	79,614 (1.4)	84,017 (1.4)	3.2	5.5
ख. केन्द्रीय अंतरण (i+ii)	37,133 (4.8)	61,874 (4.0)	1,07,491 (4.2)	1,70,774 (4.6)	2,14,744 (5.0)	2,60,024 (5.3)	3,27,846 (5.9)	3,54,403 (5.7)	26.1	8.1
i. साझायोग्य कर	19,790 (2.6)	37,607 (2.4)	61,047 (2.4)	94,024 (2.5)	1,20,293 (2.8)	1,51,402 (3.1)	1,73,473 (3.1)	1,85,720 (3.0)	14.6	7.1
ii. सहायता अनुदान	17,343 (2.3)	24,267 (1.6)	46,444 (1.8)	76,750 (2.1)	94,451 (2.2)	1,08,622 (2.2)	1,54,373 (2.8)	1,68,683 (2.7)	42.1	9.3
2. पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	30,737 (4.0)	66,202 (4.1)	1,54,415 (5.9)	1,64,607 (4.4)	1,43,049 (3.3)	1,41,987 (2.9)	1,86,201 (3.3)	2,25,114 (3.7)	31.1	20.9
क. केन्द्र से ऋण@	14,632 (1.9)	26,440 (1.7)	24,337 (1.0)	8,097 (0.2)	5,717 (0.1)	7,252 (0.1)	9,786 (0.2)	17,284 (0.3)	35.0	76.6
ख. अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	16,104 (2.1)	39,762 (2.4)	1,30,078 (4.9)	1,56,510 (4.2)	1,37,331 (3.2)	1,34,736 (2.7)	1,76,414 (3.2)	2,07,830 (3.4)	30.9	17.8

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ: बजट अनुमान।

@ 1999-2000 से लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के साथ, अल्प बचतों के तहत राज्यों के हिस्से को, जिसे पहले केंद्र से ऋण के तहत शामिल किया गया था, आंतरिक कर्ज में शामिल किया जा रहा है और उसे केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दिखाया जा रहा है। हालांकि, इस सारणी में सूचित किए गए अनुसार, 1999-2000 से पहले के वर्षों के आंकड़ों में तुलनीयता के प्रयोजन के लिए अल्प बचतों के प्रति जारी ऋण शामिल नहीं हैं।

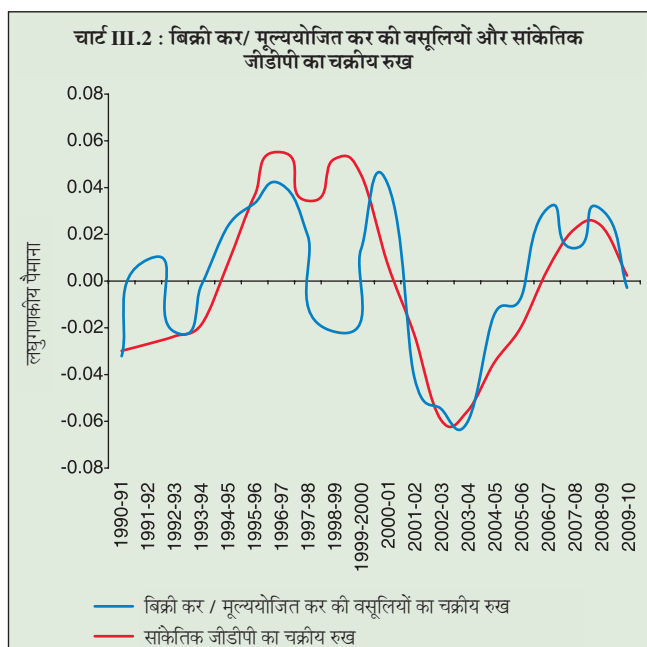
नोट:

1. विभिन्न अवधियों के बीच अधिक सार्थक तुलना के लिए 5 साल के औसत दिए गए हैं।
2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।
3. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल हैं। परिशिष्टों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

प्रतिशत पर स्थिर रहने का बजट अनुमान है (सारणी III.5 तथा परिशिष्ट सारणी 3)। 2009-10 (बअ) में, बिक्री कर/वैट से राजस्व प्राप्तियां तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भू-राजस्व उसी स्तर पर रहने का बजट अनुमान है जबकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क और राज्य उत्पादन शुल्क से होने वाली राजस्व प्राप्तियां 2008-09 (संअ) की तुलना में न्यूनतर रहने का अनुमान है। साथ ही, अपना करेतर राजस्व-जीडीपी अनुपात इसी अवधि में 1.4 प्रतिशत पर स्थिर बने रहने का बजट अनुमान है।

3.16 अधिकांश राज्यों में वैट लागू करने से हाल के वर्षों में उनका बिक्री कर/वैट-जीडीपी अनुपात बढ़ाने में मदद मिली है। 2009-10 में, बिक्री कर/वैट से राज्यों के अपने कर राजस्व की कुल वसूली में लगभग 61 प्रतिशत अंशदान का बजट अनुमान है। हालांकि जीडीपी के अनुपात में बिक्री कर/वैट 2008-09 (संअ) के 3.6 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2009-10 (बअ) में 3.7 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है, बिक्री कर/वैट में वृद्धि 2008-09 (संअ) के 16.8 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 में 11.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो अनुमानित मंद वृद्धि के संभावित प्रभाव को दर्शाता है। वस्तुतः बिक्री कर/वैट वसूली और सांकेतिक जीडीपी के चक्रीय रुख के बीच का सहसंबंध सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है³ (चार्ट III.2)।



3.17 माल और सेवा कर (जीएसटी) 1 अप्रैल 2010 से लागू करने का प्रस्ताव है। तथापि, जीएसटी का कार्यान्वयन भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है। जीएसटी को लागू करना कर सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जीएसटी केंद्र में उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का और राज्य स्तर पर वैट का स्थान लेगा। राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति को भारत में जीएसटी के लिए मॉडल तैयार करने और रूपरेखा बनाने का कार्य सौंपा गया है। भलीभांति अभिकल्पित जीएसटी से विनिर्माण की लागत न्यूनतर होगी तथा कारोबार में अधिक दक्षता आएगी। यह भी आशा है कि जीएसटी लागू करने से कर आधार बढ़ाकर तथा अनुपालन की कम लागत तथा व्यापक आधार पर न्यूनतर प्रभावी कर दरों से आर्थिक वृद्धि को उत्प्रेरित कर दोनों तरीकों से राजस्व में उछाल आएगा (बॉक्स III.4)।

3.18 करेतर राजस्व के भीतर, राज्य सरकारों की ब्याज प्राप्तियों में 2008-09 (संअ) में हुई 31.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2009-10 में 21.5 प्रतिशत की गिरावट आने का बजट अनुमान है, जबकि आर्थिक सेवाओं के कारण करेतर राजस्व में 2008-09 (संअ) के 18.6 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 4.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि होने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 3)। वर्तमान में राज्यों के अपने करेतर राजस्व राज्य सरकारों की कुल राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम प्रतीत होता है। राज्यों द्वारा उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रभार लगाकर करेतर राजस्व पर उनकी निर्भरता बढ़ाए जाने की जरूरत है। दो कारणों से यह जरूरी है। पहला, राज्य सरकारें अपनी राजस्व प्राप्तियों के लिए मुख्य रूप से अपने कर राजस्व पर तथा केंद्रीय करों में उनके हिस्से के रूप में केंद्रीय अंतरणों तथा अनुदानों पर निर्भर रहती हैं, जो आर्थिक वृद्धि में मंदी के प्रति संभाव्यतः असुरक्षित हैं। इसके अलावा, अपने संसाधन जुटाने की राज्यों की क्षमता भी उनकी योग्यता और कर जुटाने संबंधी अधिदेश के अधीन है। इस प्रकार राजस्व का अधिक टिकाऊ स्रोत पाने के लिए, राज्यों द्वारा उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रभार लगाकर उनका करेतर राजस्व आधार बढ़ाए जाने की जरूरत है। दूसरे, उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रभारों से सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद मिलती है। इस प्रकार लागत वसूली सिद्धान्त पर आधारित उपयोगकर्ता प्रभार से आर्थिक सेवाओं के अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग में मदद मिलेगी।

³ सांकेतिक जीडीपी तथा बिक्री कर/वैट वसूलियों के चक्रीय घटक की गणना के लिए, हॉड्रिक-प्रेसकाट फिल्टरिंग तकनीक का उपयोग किया गया है।

बॉक्स III.4 : भारत में माल और सेवा कर - वर्तमान स्थिति

पूरे विश्व में माल और सेवाओं पर एक ही दर पर कर लगाया जाता है तथा माल और सेवा कर (जीएसटी) की यही नींव है। जीएसटी मूल रूप से माल और सेवाओं पर लगाया जाने वाला व्यापक मूल्ययोजित कर (वैट) है, जिसे बिक्री और खरीद की प्रत्येक अवस्था में योजित मूल्य पर लगाया और वसूल किया जाता है, जिसके अंतर्गत विनिर्माता एवं डीलर 'निविष्टि कर' के लिए जमा का दावा करते हैं जबकि अंतिम उपभोगकर्ता पूरे कर का वहन करता है। बड़ी संख्या में उन्नत देशों में जीएसटी का उपयोग काफी सामान्य है। कई उत्पादों के उत्पादन एवं उनकी बिक्री में माल और सेवाएं दोनों की निविष्टियां अपेक्षित होती हैं जिन्हें अस्पष्ट रूप से पैकेज किया जा सकता है तथा माल और सेवाओं पर 'एकीकृत कर दर' लागू की जा सकती है। इस प्रकार जीएसटी कर प्रणाली की अक्षमताओं को दूर करता है तथा उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को दक्ष एवं कारगर तरीके से कार्य करने की अनुमति देता है।

साहित्य से यह प्रकट होता है कि संघीय देशों के बीच, जीएसटी के तीन प्रकार के मॉडल हैं: अर्थात्, क) संघीय स्तर पर वसूली; ख) उप-राष्ट्रिक स्तर पर वसूली; तथा ग) द्वैध स्तर का जीएसटी। बदले में तीसरे मॉडल के तीन परिवर्ती हैं: 1) दोनों स्तर की सरकारों में निहित सांविधानिक प्राधिकार के माध्यम से संघ सरकार द्वारा वसूली; 2) दो स्तर की सरकारों द्वारा वसूल किया गया स्वतंत्र जीएसटी; और 3) राज्यों द्वारा प्रशासित सामान्य आधार पर एकल समन्वित दर। हालांकि परिभाषा के द्वारा, एक केंद्रीकृत जीएसटी में कर की दरों एवं छूटों में समन्वय का प्रावधान रहता है, तथापि समसामयिक साहित्य में राजकोषीय विशेषज्ञों द्वारा अलग-अलग राय प्रकट की गयी है। एक राय के अनुसार द्वैध वैट, जो कनाडा के क्यूबेक सर्विस टैक्स-जीएसटी मॉडल का एक परिवर्ती है, भारत में सर्वाधिक आशाजनक वैट प्रतीत होता है (पोदार, 2009)। ऐसी राय है कि बिक्री कराना केंद्रीकरण आवश्यक नहीं है, जैसाकि वैट के साथ कनाडा तथा आय कर के साथ यूएस के अनुभव से स्पष्ट है; केंद्रीय और राज्य करों का अस्तित्व साथ-साथ रह सकता है।

भारत में, 1990 के दशक के प्रारंभ से, अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में व्यापक उपलब्धि हासिल हुई है। तथापि, जीएसटी का कार्यान्वयन एक 'लैंडमार्क' कर सुधार होगा। अप्रत्यक्ष कर सुधार का मूल उद्देश्य समंजित जीएसटी के रूप में व्यापक वैट रखना है। ऐसी आशा है कि जीएसटी से केंद्र और राज्य दोनों के स्तरों पर उपभोग कर ढांचा में बड़ा युक्तियुक्तकरण और सरलीकरण आएगा। ऐसा यकीन है कि विनिर्माण और सेवाओं के बीच कराना के भार को पुनर्वितरित करके जीएसटी युग से एक चरणबद्ध बदलाव आएगा (केलकर, 2009)।

केंद्रीय बजट 2007-08 में यह घोषणा की गई कि भारत को 1 अप्रैल 2010 तक राष्ट्रीय स्तर के जीएसटी की ओर अग्रसर होना चाहिए तथा केंद्र सरकार के साथ राज्य मंत्रियों की एक अधिकारप्राप्त समिति भारत में जीएसटी लागू करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी। तदनुसार, भारत सरकार ने 10 नवम्बर 2009 को जीएसटी पर एक चर्चा पत्र जारी किया। भारत जैसी संघीय प्रणाली में, एक समंजित संरचना तैयार करते समय राज्यों की स्वायत्तता के समर्थन के लिए प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है। जीएसटी के प्रस्तावित मॉडल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- केंद्र और राज्यों के कार्यों एवं उत्तर दायित्वों को परिभाषित करते हुए एक द्वैध जीएसटी ढांचा (एक केंद्रीय जीएसटी के लिए तथा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य जीएसटी कानून), जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए बाध्यकारी होगा।
- सामूहिक रूप से सहमत सांविधिक संशोधन के लिए प्रावधान, यदि आवश्यक हो, पर भी कार्य किया जा रहा है।
- कानून की मूल विशेषताएं यथा प्रभायता, करयोग्य घटना एवं करयोग्य व्यक्ति की परिभाषा, मूल्यन प्रावधानों सहित उगाही का उपाय तथा वर्गीकरण का आधार, जहां तक व्यवहार्य होगा, इन कानूनों में एक समान रखा जाएगा।
- माल और सेवाओं की सभी लेनदेनों पर, छूटप्राप्त को छोड़कर, केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी दोनों लागू होंगे।
- माल और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति के मामले को छोड़कर केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के बीच निविष्टि कर जमा (आईटीसी) के प्रति-उपयोग

की अनुमति नहीं होगी। जहां तक साध्य होगा, केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के लिए संबंधित विधानों में केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी दोनों की वसूली के लिए एक समान प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

- जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने के लिए ऐसी विभिन्न केंद्रीय, राज्य और स्थानीय उगाहियों की पहचान की जानी है, जो अप्रत्यक्ष करों के स्वरूप की हैं। तथापि, ऐसे करों, उगाहियों एवं शुल्कों को जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, जो विशिष्ट रूप से माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के साथ संबद्ध हैं।
- निर्यातों पर शून्य रेटिंग का प्रस्ताव है, जबकि आयातों पर गंतव्य स्थान के सिद्धान्त के अनुसार केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी लागू होंगे तथा एक एसईजेड से देशी टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) को हुई बिक्री के लिए किसी लाभ की अनुमति नहीं होगी।
- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ऐसी किसी हानि के लिए पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने संबंधी मुद्दे पर विचार किया जाएगा जो अगले पांच वर्षों में जीएसटी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान उभर सकते हैं।
- राज्यों (उत्तरपूर्वी क्षेत्र के राज्य तथा विशेष श्रेणी वाले राज्य) के लिए पर्याप्त मुआवजा के साथ सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए माल और सेवाओं दोनों के लिए 10 लाख रु. के सकल वार्षिक टर्नओवर की आरंभिक सीमा अपनायी जा सकती है।
- माल और सेवाओं के अंतर-राज्य लेनदेनों के मामले में, कार्यकारी दल ने आइजीएसटी मॉडल अपनाने की संस्तुति की, जिसके तहत केंद्र सरकार करयोग्य माल और सेवाओं के सभी अंतर-राज्य लेनदेनों पर आइजीएसटी वसूलेंगी जो केंद्रीय जीएसटी तथा राज्य जीएसटी का जोड़ होगा। अंतर-राज्य विक्रेता इन खरीदों पर आइजीएसटी, सीजीएसटी, और एसजीएसटी की उपलब्ध जमा राशि को समायोजित करने के बाद मूल्ययोजन पर आइजीएसटी अदा करेगा। निर्यातकर्ता राज्य सीजीएसटी की जमाराशि का अंतरण केंद्र को करेगा तथा आयातकर्ता डीलर आइजीएसटी की जमाराशि के लिए दावा करेगा।
- दो दरों वाली संरचना (सीजीएसटी तथा एसजीएसटी दोनों) को अपनाना, अर्थात् आवश्यक मदों और मौलिक महत्व की वस्तुओं के लिए न्यूनतर दर तथा सामान्य वस्तुओं के लिए एक मानक दर और बहुमूल्य धातुओं एवं सूचीबद्ध छूटप्राप्त मदों के लिए एक विशेष दर।
- तथापि, सेवाओं के कराना के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के लिए एकल दर हो सकती है। सेवाओं की दर सहित एसजीएसटी तथा सीजीएसटी दरों के सटीक मूल्य का आकलन किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, 25 प्रतिशत की सर्वोच्च जीएसटी दरें स्वीडन एवं डेनमार्क में हैं। उच्चतर कर दर वाले देशों में 24.5 प्रतिशत पर आइसलैंड तथा 22 प्रतिशत पर फिनलैंड शामिल हैं। न्यूनतर स्तर पर, स्विटजरलैंड, जापान, थाईलैंड और सिंगापुर में 5 प्रतिशत अथवा थोड़ी अधिक जीएसटी/वैट दरें लागू हैं। अधिकांश देशों में जीएसटी/वैट दरें 20 प्रतिशत से कम हैं। उदाहरण के लिए, यूके में वैट दर 17.5 प्रतिशत, स्पेन में 16 प्रतिशत, रूस में 18 प्रतिशत, फ्रान्स में 19.6 प्रतिशत तथा जर्मनी में 19 प्रतिशत है। कनाडा एक ऐसा संघीय देश है जहां संघीय एवं प्रांतीय दोनों जीएसटी दरें लागू हैं। संघीय एवं प्रांतीय दरों का संयुक्त भार 6 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत के बीच अलग-अलग है।

बाद में, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा गठित कार्य बल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह संस्तुति की कि राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति का रूपांतरण 'वित्त मंत्रियों की परिषद' नामक एक स्थायी सांविधानिक निकाय के रूप में कर दिया जाए, जिसमें केंद्रीय मंत्री तथा सभी राज्य वित्त मंत्री शामिल होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि न तो केंद्र न ही राज्य जीएसटी की सहमत डिजाइन में अकेले कोई परिवर्तन कर सकेंगे।

जारी...

समाप्त

तथापि, किसी अनिवार्यता की स्थिति में, एक माह के भीतर परिषद द्वारा वास्तविक कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किए जाने की शर्त पर सदस्य राज्य अथवा केंद्र तात्कालिक कदम उठा सकते हैं। साथ ही, चूंकि जीएसटी का प्राथमिक उद्देश्य भारत में उपभोग कर में सुधार लाना है तथा यह विवेकाधीन परिवर्तनों के जरिए अतिरिक्त संसाधन संग्रहण का प्रयास नहीं है, अतः सीजीएसटी और एसजीएसटी की दरें 'राजस्व तटस्थ दर' (आरएनआर) होनी चाहिए, ताकि पहले प्राप्त किए जा रहे राजस्व जितनी राशि प्राप्त हो सके।

संदर्भ:

1. बागची, अमरेश (2006), 'टुवर्ड्स जीएसटी: च्वाइसेज एण्ड ट्रेड-ऑफ्स' इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 8 अप्रैल।

2. भारत सरकार (2007), 'वित्त मंत्रियों के बजट भाषण', 28 फरवरी।
3. भारत सरकार (2009), 'भारत में माल और सेवा कर पर पहला चर्चा पत्र', राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति, नई दिल्ली, 10 नवंबर।
5. केलकर, विजय (2009), 'त्वरित आर्थिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए जीएसटी', तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली में विशेष संबोधन।
6. पोदार, एस. तथा एहतिसाम अहमद (2009), 'भारत में जीएसटी सुधार और अंतर-सरकारी विचार', कार्य पत्र, डीओई, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, मार्च।
7. श्रीवास्तव, डी.के. (2007), 'ए रोडमैप टु गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स', दि हिंदू बिजनेसलाइन, 13 अगस्त।

3.19 जहां तक राज्य स्तर पर लागत वसूली पहलू का संबंध है, ऐसा अनुमान है कि यह 2007-08 की तुलना में सामाजिक सेवाओं के मामले में 2009-10 में न्यूनतर होगा। आर्थिक सेवाओं में, हाल के वर्षों में ईंधन क्षेत्र में काफी सुधार आया है जो 2009-10 (बअ) में बना रह सकता है। इसी तरह, सड़क क्षेत्र में सुधार की दर में भी 2009-10 (बअ) में सुधार आने का अनुमान है। सिंचाई क्षेत्र में लागत वसूली में 2006-07 से 2008-09 (संअ) के दौरान स्थिर रूप से सुधार दर्ज किया गया, पर इसमें 2009-10 (बअ) में गिरावट आने की संभावना है (सारणी III.6 और चार्ट III.3)।

राजस्व व्यय

3.20 राज्य सरकारों के समेकित राजस्व व्यय में वृद्धि 2008-09 (संअ) के 25.2 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 (बअ) में 15.1 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। तथापि, जीडीपी के अनुपात के रूप में, उसी अवधि में राजस्व व्यय 13.0 प्रतिशत से बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है। जहां 2009-10 (बअ) में विकास राजस्व व्यय में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का बजट अनुमान है, वहीं गैर विकास राजस्व व्यय में 23.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2009-10 (बअ) में, मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं,

सारणी III.6: चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली

(गैर योजना राजस्व व्यय के प्रति करेतर राजस्व का अनुपात)

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ. सामाजिक सेवाएं जिसमें से:										
(क) शिक्षा \$	1.2	1.3	1.6	1.8	2.1	2.8	2.6	2.8	1.6	1.6
(ख) स्वास्थ्य *	4.6	6.2	5.4	4.7	6.2	4.7	5.1	4.7	6.2	4.8
आ. आर्थिक सेवाएँ जिसमें से:										
(क) सिंचाई #	8.1	7.5	8.4	15.3	16.4	14.5	15.0	15.5	15.8	15.2
(ख) ईंधन	6.5	6.5	9.7	2.8	11.7	12.3	16.7	16.5	17.8	21.8
(ग) सड़क @	16.3	19.6	15.6	21.5	14.6	11.6	7.6	6.5	5.9	6.9

संअ: संशोधित अनुमान।

बअ: बजट अनुमान।

\$: इसके अलावा खेल, कला और संस्कृति पर खर्च भी शामिल है।

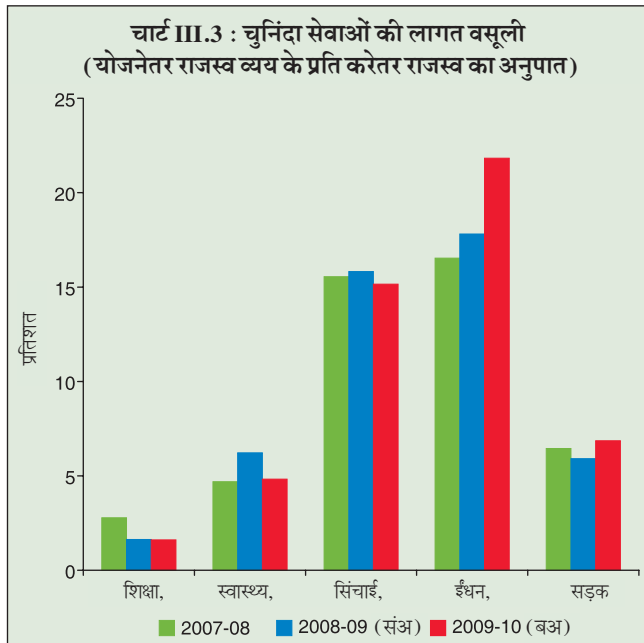
* : चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च शामिल है।

: योजनेतर राजस्व व्यय के लिए गैर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, जबकि करेतर राजस्व के लिए बड़ी, मशीली और लघु सिंचाई से संबंधित है।

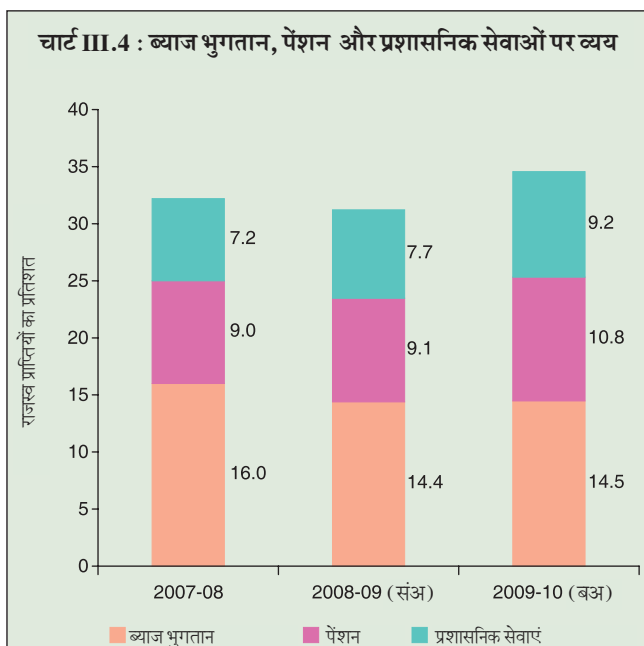
@ : योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सड़कों और पुलों से संबंधित है, जबकि करेतर राजस्व के लिए सड़क परिवहन से संबंधित है।

नोट: ईंधन क्षेत्र के लिए लेखांकन में राज्य भर में एकरूपता नहीं है, जिसके फलस्वरूप समय-समय पर वर्षों के बीच समायोजन किया गया है। अतः अनुपात उतार-चढ़ाव दिखा सकते हैं। इसके अलावा, ईंधन के तहत राज्यों को एक बार करेतर प्राप्ति हुई है, यथा 2003-04 के दौरान अहलूवालिया समिति की सिफारिश के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को प्राप्त 2,749 करोड़ रुपए का अनुदान, जिसे 2004-05 में मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दिया गया था, को बाहर रखा गया है। इसके अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त राशियां जो करेतर स्वरूप की नहीं हैं, यथा उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में 2004-05 में 240 करोड़ रु. और उत्तराखंड सरकार के लिए 2004-05 में 134 करोड़ रु. बाहर रखे गए हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित।



जिनमें शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति तथा चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण शामिल हैं, में वृद्धि के कारण विकास राजस्व व्यय के बढ़ने का बजट अनुमान है। तथापि, आवास पर राजस्व व्यय में 2009-10 (बअ) में 30.8 प्रतिशत की गिरावट आने का बजट अनुमान है। आर्थिक सेवाओं में, राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर काफी उच्चतर व्यय करने का बजट अनुमान लगाया है। 2009-10 (बअ) में राजस्व व्यय में लगभग 55.4 प्रतिशत की वृद्धि गैर विकास व्यय में वृद्धि

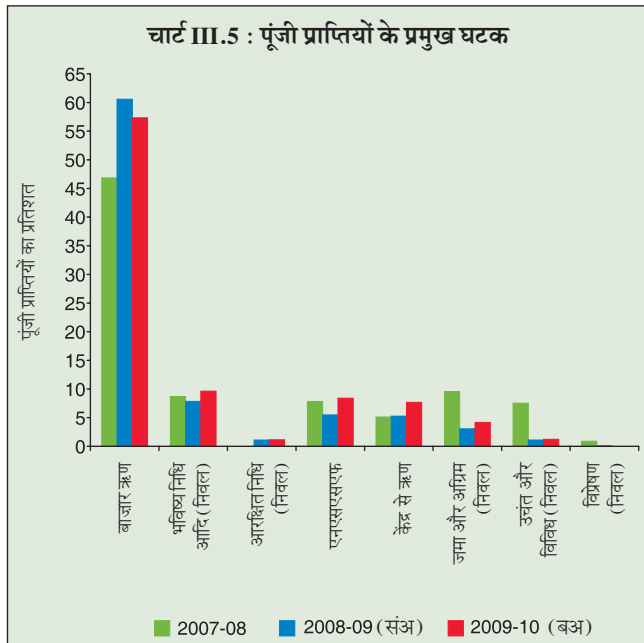


के कारण होगी। वचनबद्ध व्यय, जिनमें पेंशन, प्रशासनिक सेवाएं और ब्याज अदायगी शामिल है, पर होने वाले व्यय में बजट में अनुमानित वृद्धि का गैर विकास व्यय में होने वाली कुल वृद्धि में 78.2 प्रतिशत का अंशदान होगा। राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में वचनबद्धता व्यय 2008-09 (संअ) के 31.2 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 (बअ) में 34.5 प्रतिशत हो जाने का भी बजट अनुमान है (चार्ट III.4)।

पूंजीगत प्राप्तियां

3.21 समेकित स्तर पर, राज्यों ने 2008-09 (संअ) में हुई 31.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 में पूंजीगत प्राप्तियों में 20.9 प्रतिशत वृद्धि का बजट अनुमान लगाया जिसका मुख्य कारण बाजार ऋण तथा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियां, केंद्र से ऋण तथा अल्प बचत और भविष्य निधियां हैं। 2009-10 के दौरान, राज्य सरकारों ने केंद्र से प्राप्त ऋण के लिए पिछले साल के 9,786 करोड़ रुपए (35.0 प्रतिशत की वृद्धि) की तुलना में 17,284 करोड़ रुपए का बजट अनुमान [2008-09 (संअ) की तुलना में 76.6 प्रतिशत की वृद्धि] लगाया है। इसी तरह, एनएसएसएफ संबंधी प्राप्तियां 2009-10 (बअ) में 85.0 प्रतिशत बढ़ने का बजट अनुमान है। अल्प बचत और भविष्य निधि में भी पिछले साल की तुलना में 2009-10 (बअ) में 48.0 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। तथापि, ऋण और अग्रिम की वसूली संबंधी पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले साल हुई 48.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 60.2 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आने का बजट अनुमान है (सारणी III.5 और परिशिष्ट सारणी 5)।

3.22 बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हाल के वर्षों में सकल राजकोषीय घाटा के वित्तपोषण के लिए बाजार उधार पर राज्य सरकारों की बढ़ती हुई निर्भरता के साथ, राज्यों की कुल पूंजीगत प्राप्तियों में एनएसएसएफ तथा केंद्र से ऋण का हिस्सा घटने के संकेत हैं। तथापि, 2009-10 में उनका हिस्सा उच्चतर, हालांकि थोड़ा, होने का अनुमान है (चार्ट III.5)। जमा और अग्रिम (निवल), जिनमें ब्याजवाही तथा गैर ब्याजवाही जमाराशियां शामिल हैं, में भी 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 में 65.1 प्रतिशत वृद्धि का बजट अनुमान है जिसका कुल पूंजीगत प्राप्तियों में अंशदान लगभग 10 प्रतिशत होगा। इसके अलावा, कर्नाटक, उत्तराखंड और हरियाणा के तीन राज्यों ने जमीन बेचकर (विनिवेश द्वारा) पूंजीगत प्राप्तियां जुटाने



का बजट अनुमान लगाया है। 2008-09 में दो राज्य, जिन्होंने विनिवेश (जमीन की बिक्री) के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया था, कुल बजटित राशि का सिर्फ एक तिहाई राशि जुटा सके। ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में 2008-09 (संअ) की तुलना में 58.3 प्रतिशत की कमी होने का बजट अनुमान है।

पूंजीगत व्यय

3.23 जैसा कि पहले की गई चर्चा में उल्लेख किया गया है, आर्थिक मंदी के चरण में प्रतिक्रिया राजकोषीय उपायों की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि सरकारें कर की दरों को कम करके तथा सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास करती हैं। वैश्विक मंदी के वर्तमान चरण में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुमान के अनुसार अब तक घोषित राजकोषीय उत्प्रेरक उपायों में एक तिहाई राजस्व संबंधी उपाय तथा दो तिहाई व्यय संबंधी उपाय हैं। भारतीय मामले में, वृद्धि की मंद संभावनाओं को देखते हुए, केंद्र ने 2008-09 में जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक तथा 2009-10 में और 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त बाजार उधार जुटाने की अनुमति राज्य सरकारों को प्रदान की। इसका उद्देश्य अतिरिक्त पूंजी निवेश करने तथा देशी सकल मांग बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना था। तथापि, पूंजीगत व्यय के लिए 2009-10 के बजट अनुमानों में ये गतिविधियां प्रदर्शित नहीं होतीं। 2009-10 (बअ) के दौरान, राज्यों के पूंजीगत व्यय में 2008-09

(संअ) में हुई 24.3 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि की तुलना में 2.5 प्रतिशत वृद्धि होने का बजट अनुमान है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 2008-09 (संअ) के 3.8 प्रतिशत से घटकर 2009-10 (बअ) में 3.5 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि 2008-09 (संअ) के 32.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में घटकर 1.9 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। जीडीपी के अनुपात के रूप में पूंजीगत परिव्यय 2008-09 (संअ) के 2.8 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 2.6 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। कुल राशि के रूप में, जहां आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय 2008-09 (संअ) में हुई 28.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2.2 प्रतिशत बढ़ने का बजट अनुमान है, वहीं सामाजिक सेवाओं पर इसके 2008-09 (संअ) में हुई 49.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 में 0.3 प्रतिशत कम हो जाने का बजट अनुमान है। इसी तरह, विकास प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम में 2008-09 (संअ) में हुई 16.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 में 17.3 प्रतिशत की गिरावट आने का बजट अनुमान है। 2009-10 के दौरान आंतरिक ऋण की चुकौती के लिए राज्य सरकारों ने बजट में जिस राशि का प्रावधान किया है वह पिछले साल की तुलना में 16.0 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार, 2009-10 में राज्य सरकारों का प्रस्तावित पूंजीगत परिव्यय पैटर्न यह नहीं दर्शाता है कि राज्य सरकारों द्वारा मंदी की चिंताओं को कम करने के लिए कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया प्रयास किया गया हो (सारणी III.7 तथा परिशिष्ट सारणी 6)। वस्तुतः 2009-10 में, कुल राशि के रूप में राज्य सरकारों का समेकित पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में कम रहने का बजट अनुमान है। इस प्रकार, पिछले तीन सालों से भिन्न 2009-10 में राजस्व घाटा पूरा करने के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग करने का बजट प्रावधान किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि बजट अनुमानों में काफी संशोधन किए जाने हैं, संशोधित अनुमानों में उभरने वाली स्थिति अलग हो सकती है, बशर्ते अर्थव्यवस्था में तेजी से उछाल आए तथा कर वसूलियां बढ़ें और राज्यों की राजस्व खाता स्थिति सुधरे।

केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण

3.24 समग्र समष्टि आर्थिक मंदी का प्रभाव केंद्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण पर होगा। केंद्र से संसाधनों (अर्थात् साझायोग्य कर, अनुदान तथा ऋण और अग्रिम) के कुल न्यागमन और अंतरण से स्पष्ट है कि इनमें 2008-09 (संअ) के 26.3 प्रतिशत की तुलना

सारणी III.7: राज्य सरकारों का व्यय पैटर्न

(राशि करोड़ रु. में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	घटबढ़ (प्रतिशत)	
	(औसत)						(संअ)	(बअ)	स्तंभ 8/7	स्तंभ 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल व्यय (1+2 = 3+4+5)	1,22,270 (15.9)	2,33,441 (14.9)	4,37,299 (17.0)	5,61,682 (15.2)	6,57,280 (15.3)	7,52,324 (15.2)	9,40,423 (16.9)	10,55,778 (17.1)	25.0	12.3
1. राजस्व व्यय जिसमें से:	98,009 (12.7)	1,93,816 (12.4)	3,40,752 (13.3)	4,38,034 (11.8)	5,05,699 (11.8)	5,80,805 (11.7)	7,27,165 (13.0)	8,37,238 (13.6)	25.2	15.1
ब्याज भुगतान	13,605 (1.7)	31,421 (2.0)	69,685 (2.7)	84,024 (2.3)	93,180 (2.2)	99,831 (2.0)	1,06,220 (1.9)	1,16,427 (1.9)	6.4	9.6
2. पूंजीगत व्यय जिसमें से:	24,261 (3.2)	39,625 (2.5)	96,547 (3.6)	1,23,648 (3.3)	1,51,582 (3.5)	1,71,520 (3.5)	2,13,259 (3.8)	2,18,540 (3.5)	24.3	2.5
पूँजी परिव्यय	11,893 (1.5)	21,044 (1.4)	41,856 (1.6)	77,559 (2.1)	98,063 (2.3)	1,18,862 (2.4)	1,57,254 (2.8)	1,60,247 (2.6)	32.3	1.9
3. विकास व्यय	81,989 (10.7)	1,45,852 (9.4)	2,39,576 (9.4)	3,30,044 (8.9)	3,92,165 (9.2)	4,64,462 (9.4)	6,13,011 (11.0)	6,59,075 (10.7)	32.0	7.5
4. गैर विकास व्यय	33,734 (4.3)	76,035 (4.8)	1,50,715 (5.9)	1,90,021 (5.1)	2,11,872 (4.9)	2,33,233 (4.7)	2,67,709 (4.8)	3,29,315 (5.3)	14.8	23.0
5. अन्य*	6547 (0.9)	11,554 (0.7)	47,009 (1.7)	41,617 (1.1)	53,243 (1.2)	54,630 (1.1)	59,703 (1.1)	67,388 (1.1)	9.3	12.9

संअ : संशोधित अनुमान। बअ : बजट अनुमान।

*: इसमें केन्द्र को ऋण की चुकौती, आंतरिक ऋण का मोचन, सहायता अनुदान और अंशदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन) शामिल है।

नोट: 1. विभिन्न अवधियों के बीच अधिक सार्थक तुलना के लिए 5 साल के औसत दिए गए हैं।
2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।
3. पूंजी व्यय में लोक लेखे शामिल नहीं हैं। परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

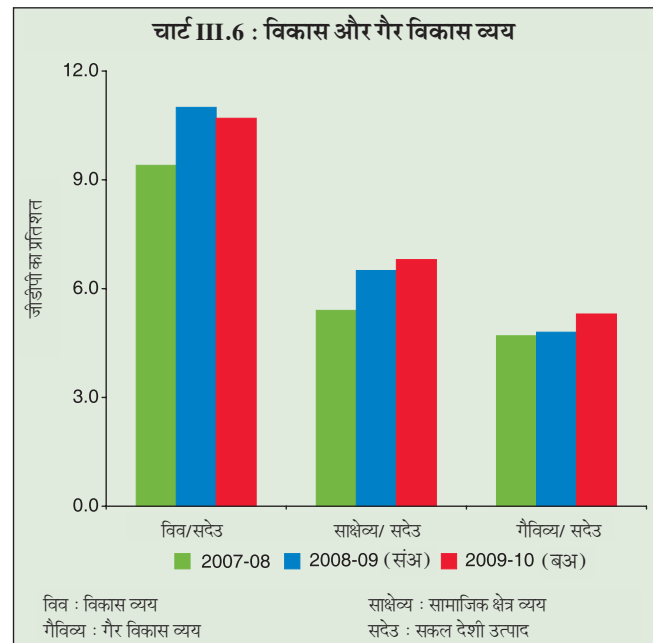
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

में 2009-10 में 10.1 प्रतिशत वृद्धि होने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 7)। केंद्र से अनुदानों में होने वाली वृद्धि में मंदी केंद्रीय करों में हिस्से की तुलना में अधिक मुखरित होने का बजट अनुमान है। जीडीपी के अनुपात के रूप में, केंद्र से सकल न्यागमन और अंतरण 2008-09 (संअ) के 6.1 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर 2009-10 (बअ) में 6.0 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। 2009-10 (बअ) में, केंद्र से सकल न्यागमन और अंतरण के जरिए 2008-09 (संअ) के 35.9 प्रतिशत की तुलना में राज्यों के कुल संवितरणों के 35.2 प्रतिशत का वित्तपोषण किया जाएगा।

विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय⁴

3.25 जीडीपी के अनुपात के रूप में कुल विकास व्यय (राजस्व और पूंजीगत दोनों) 2008-09 (संअ) के 11.0 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 10.7 प्रतिशत पर न्यूनतर रहने का बजट अनुमान है (चार्ट III.6)। कुल विकास व्यय में 2008-09 (संअ) के 32.0 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 8)। इसके अलावा, राज्यों के

कुल संवितरणों में विकास व्यय का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 65.2 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 (बअ) में 62.4 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है (सारणी III.8)।



⁴ आंकड़ा स्रोतों और पद्धति के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणी देखें।

सारणी III.8: कुल व्यय की तुलना में विकास व्यय

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	विकास राजस्व व्यय	विकास पूंजीगत परिव्यय	विकास ऋण और अग्रिम	कुल विकास व्यय
1	2	3	4	5
2007-08	3,37,337 (44.8)	1,13,584 (15.1)	13,540 (1.8)	4,64,462 (61.7)
2008-09 (संअ)	4,45,889 (47.4)	1,51,074 (16.1)	16,048 (1.7)	6,13,011 (65.2)
2009-10 (बअ)	4,92,443 (46.6)	1,53,526 (14.5)	13,106 (1.2)	6,59,075 (62.4)

संअ: संशोधित अनुमान। बअ: बजट अनुमान।

नोट: कोष्ठकों के आंकड़े कुल व्यय के प्रतिशत हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

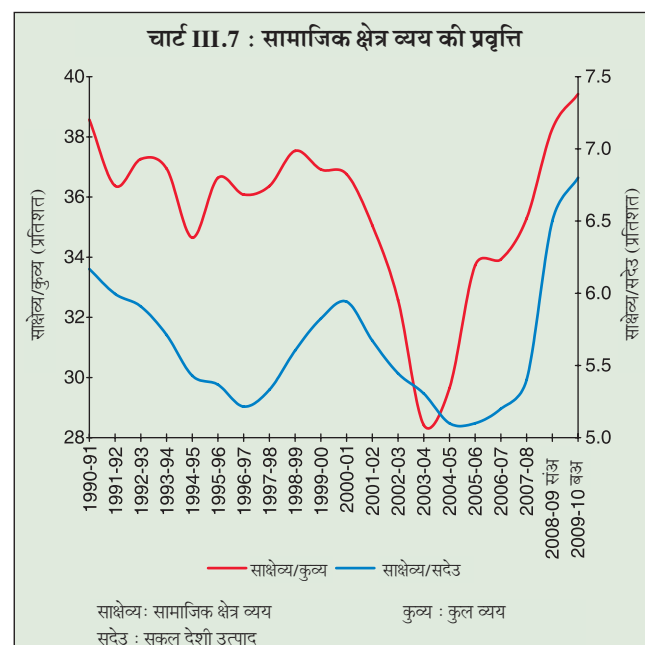
3.26 विकासात्मक व्यय के तहत सभी प्रमुख शीर्षों में, ग्रामीण विकास के अलावा, वृद्धि दर 2009-10 में कम होने का बजट अनुमान है। जबकि गैर विकासात्मक राजस्व व्यय में 2008-09 (संअ) के 14.8 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 23.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि होने का बजट अनुमान है, वहीं पूंजीगत खाते में यह राशि 2008-09 (संअ) के 13.5 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 (बअ) में 8.8 प्रतिशत पर रखने का प्रस्ताव है। कुल राजस्व व्यय की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय भी 2008-09 (संअ) के 31.7 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 (बअ) में 33.2 प्रतिशत पर थोड़ा उच्चतर होने का अनुमान है। प्रतिबद्ध व्यय, जो कुल गैर योजना गैर विकास व्यय का लगभग 87.0 प्रतिशत है, में 2008-09 (संअ) के 14.7 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 20.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 9 से 14)।

सामाजिक क्षेत्र के व्यय⁵

3.27 राज्य स्तर पर सामाजिक क्षेत्र (एसएसई) के व्यय में, विशेष रूप से 2003-04 से, निरंतर वृद्धि हुई है। हालांकि एसएसई में 2008-09 (संअ) के 35.6 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 15.7 प्रतिशत की मामूली दर पर वृद्धि होने का बजट अनुमान है, एसएसई-जीडीपी अनुपात इस अवधि के दौरान 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह, कुल व्यय में एसएसई का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 38.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10

में 39.4 प्रतिशत पर थोड़ा उच्चतर होने का बजट अनुमान है, जो 2000 के दशक की पहली छमाही के औसत की तुलना में काफी अधिक है (चार्ट III.7 और सारणी III.9)।

3.28 सारणी III.10 से यह देखा जा सकता है कि 2008-09 (संअ) के 86.0 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में कुल एसएसई का लगभग 85.6 प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में खर्च होगा, जबकि इसी अवधि में कुल एसएसई में पूंजी परिव्यय की हिस्सेदारी थोड़ी अधिक होगी। हालांकि, सामाजिक क्षेत्र के व्यय के लिए बजट में प्रावधान किए गए ऋण और अग्रिम का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 2.4 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 1.7 प्रतिशत रह जाएगा (सारणी III.10)। राजस्व और पूंजीगत खाता नामक एसएसई के दोनों घटकों में पिछले साल की तुलना में 2009-10 में धीमी दर से वृद्धि होने का बजट अनुमान है। एसएसई के तहत सामाजिक सेवाओं की सभी प्रमुख श्रेणियों में वृद्धि 2009-10 (बअ) में मंद अथवा कम होने का अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 15)। समस्त सामाजिक सेवाओं (राज्य सरकारों के राजस्व, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सहित) में 2008-09 (संअ) में हुई 36.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 (बअ) में 10.1 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज किए जाने का अनुमान है। इसके विपरीत, आर्थिक सेवाओं (राज्य



⁵ सामाजिक क्षेत्र व्यय में राजस्व व्यय के तहत सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास तथा खाद्य संग्रहण और भंडारण पर व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

सारणी III.9: राज्य सरकारों के सकल सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
	(औसत)						(संअ)	(बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल/सदेउ	15.9	14.9	17.0	15.2	15.3	15.2	16.9	17.1
साक्षेव्य/सदेउ	5.8	5.5	5.5	5.1	5.2	5.4	6.5	6.8
साक्षेव्य/कुल	36.8	36.7	32.5	33.7	33.9	35.3	38.3	39.4

संअ : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

सदेउ: सकल देशी उत्पाद.

कुल: कुल व्यय

साक्षेव्य: सामाजिक क्षेत्र के व्यय

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सरकारों के राजस्व, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सहित) में वृद्धि 2008-09 (संअ) के 29.5 प्रतिशत से दुगुनी होकर 2009-10 में 57.7 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है जिसका कारण ग्रामीण विकास के लिए बजटित खर्च में होनेवाली तीव्र वृद्धि है।

3.29 सामाजिक सेवाओं की संरचना यह दर्शाती है कि 45.5 प्रतिशत के साथ शिक्षा, खेल तथा कला एवं संस्कृति की प्रमुख भूमिका बनी रहेगी, जिसके बाद चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का स्थान है। सामाजिक सेवाओं की प्रमुख श्रेणियों के

सारणी III.10: सामाजिक क्षेत्र व्यय की संरचना की प्रवृत्ति

(सामाजिक क्षेत्र व्यय का प्रतिशत)

मद	राजस्व व्यय	पूँजी परिव्यय	ऋण और अग्रिम	कुल (2+3+4)	मद	राजस्व व्यय	पूँजी परिव्यय	ऋण और अग्रिम	कुल (2+3+4)
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1990-91 से 1994-95 (औसत)					2006-07				
सामाजिक सेवा	78.9	3.8	2.4	85.1	सामाजिक सेवा	78.3	7.8	1.6	87.7
ग्रामीण विकास	13.6	0.4	—	14.0	ग्रामीण विकास	8.7	2.4	—	11.1
खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.7	0.1	—	0.9	खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.8	-0.1	0.5	1.2
कुल	93.3	4.3	2.4	100.0	कुल	87.7	10.1	2.1	100.0
1995-96 से 1999-00 (औसत)					2007-08				
सामाजिक सेवा	82.2	4.0	2.0	88.2	सामाजिक सेवा	76.8	8.7	2.3	87.7
ग्रामीण विकास	10.2	0.4	—	10.6	ग्रामीण विकास	8.4	2.2	—	10.5
खाद्य संग्रहण और भंडारण	1.1	0.1	0.1	1.2	खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.8	0.4	0.5	1.7
कुल	93.4	4.5	2.1	100.0	कुल	85.9	11.2	2.8	100.0
2000-01 से 2004-05 (औसत)					2008-09 (संअ)				
सामाजिक सेवा	80.8	5.5	2.0	88.3	सामाजिक सेवा	76.7	9.5	2.1	88.3
ग्रामीण विकास	8.7	1.6	—	10.2	ग्रामीण विकास	8.3	1.8	—	10.2
खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.8	0.5	0.1	1.4	खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.9	0.3	0.4	1.5
कुल	90.3	7.6	2.1	100.0	कुल	86.0	11.6	2.4	100.0
2005-06					2009-10 (बअ)				
सामाजिक सेवा	78.4	7.5	1.6	87.5	सामाजिक सेवा	74.4	8.2	1.4	84.0
ग्रामीण विकास	9.3	2.1	—	11.4	ग्रामीण विकास	10.4	4.4	—	14.8
खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.9	0.1	0.2	1.1	खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.8	—	0.3	1.2
कुल	88.6	9.6	1.8	100.0	कुल	85.6	12.7	1.7	100.0

साक्षेव्य: सामाजिक क्षेत्र के व्यय.

'—': शून्य/नगण्य.

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ : बजट अनुमान.

नोट: आंकड़ों के समेकन के कारण हो सकता है कि जोड़ मेल न खाए।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी III.11: सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व और पूंजी लेखा) - संरचना

(सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
	मद						(संअ)	(बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (क से ठ तक)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	52.2	52.4	51.4	48.2	47.0	44.7	42.6	45.5
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	16.0	12.6	11.7	11.6	11.4	10.9	10.6	10.8
(ग) परिवार कल्याण	—	2.5	2.0	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7
(घ) जल आपूर्ति और स्वच्छता	7.3	7.5	7.7	8.2	7.9	8.2	7.0	6.6
(ङ) आवास	2.9	2.9	2.9	2.3	2.7	3.8	4.2	2.4
(च) शहरी विकास	2.3	2.6	3.7	4.2	5.7	7.2	8.9	8.6
(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	6.6	6.5	6.5	7.1	6.9	7.1	7.3	6.3
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	1.4	1.3	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4.5	4.2	5.1	5.7	6.7	7.8	8.9	9.3
(ञ) पोषण	1.7	2.8	2.1	2.4	2.5	2.7	2.9	3.9
(ट) प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	2.6	2.9	3.8	5.2	4.0	2.9	3.2	1.6
(ठ) अन्य	2.5	2.0	2.1	2.3	2.3	2.4	2.0	2.2

संअ : संशोधित अनुमान.

बअ: बजट अनुमान

‘-’: उपलब्ध नहीं.

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

बीच, कुल सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल और कला एवं संस्कृति; चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य; तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के संबंधित हिस्सों में 2009-10 के दौरान वृद्धि होने का बजट अनुमान है, जबकि शहरी विकास, जल आपूर्ति और सफाई; अजा, अजजा और ओबीसी के कल्याण; आवास तथा प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च में कमी दर्ज किए जाने का अनुमान है (सारणी III.11)।

परिचालन और रखरखाव तथा मजदूरी और वेतन पर व्यय

3.30 राज्य सरकारें आम तौर पर प्रशासन, पर्यवेक्षण, परिचालन, रखरखाव, परिरक्षण और भौतिक आस्तियों के संरक्षण पर खर्च करती हैं। हालांकि बारहवें वित्त आयोग ने आस्तियों के रखरखाव पर खर्च का स्तर बढ़ाने पर बल दिया तथा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट अनुदान की भी सिफारिश की, तथापि कुल राजस्व व्यय में परिचालन एवं रखरखाव संबंधी खर्च का अनुपात 2007-08 (लेखा) तथा 2008-09 (संअ) में से प्रत्येक के 9.3 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 में 6.8 प्रतिशत रह जाएगा। तथापि, राज्य सरकारों के राजस्व व्यय में मजदूरी एवं वेतन का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 29.3 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 32.6 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है (सारणी III.12)। 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 (बअ) में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मजदूरी और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका कारण अधिकांश बड़ी राज्य सरकारों द्वारा छोटे सीपीसी/एसपीसी का कार्यान्वयन है।

3.31 पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से राज्य स्तर पर जीडीपी का लगभग 1.2 प्रतिशत कुल अतिरिक्त व्यय अपेक्षित था। वर्तमान में, 2008-09 में कुछ राज्यों में छोटे सीपीसी/एसपीसी के पूर्ण/आंशिक कार्यान्वयन के बावजूद राज्य सरकारों ने उस वर्ष लगभग 0.2 प्रतिशत राजस्व अधिशेष दर्ज किया, जो 1990 के दशक के उत्तरार्ध की उस स्थिति से भिन्न था, जब राज्यों के अपने राजस्व स्थिर बने हुए थे, केंद्रीय अंतरण की मात्रा कम हो रही थी तथा ब्याज भुगतान में स्थिरतापूर्वक वृद्धि हो रही थी। अतः प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (जुलाई 2008) के अनुसार, वेतन संशोधन के राजकोषीय प्रभाव को आत्मसात करने के लिए राज्य सरकारें अधिक बेहतर स्थिति में हैं। हाल के वर्षों में राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार को स्वीकार करते हुए, छोटे सीपीसी/एसपीसी ने भी यह पाया कि अधिकांश राज्य सरकारें अतिरिक्त व्यय पूरा करने की स्थिति में होंगी (एसपीसी रिपोर्ट, मार्च 2008)। तथापि, 2009-10 में मंदी के कारण राज्य वित्त में प्रत्याशित गिरावट को देखते हुए, जो शायद अस्थायी थी, राज्यों को यथासंभव अनावश्यक राजस्व व्यय कम करके बेहतर व्यय प्रबंधन पर फोकस करना होगा तथा और अधिक राजस्व स्रोतों की तलाश करनी होगी। इसके अलावा, 2010-15 की अवधि के लिए बारहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय का असर छोटे सीपीसी/एसपीसी की सिफारिशों के कारण खर्च में होनेवाली वृद्धि को आत्मसात करने संबंधी राज्य सरकारों की क्षमता पर भी पड़ेगा।

**सारणी III.12: राज्य सरकारों के प्रशासनिक व्यय -
मजदूरी और वेतन तथा संचालन और रखरखाव**

वर्ष	मजदूरी और वेतन			संचालन और रखरखाव		
	राशि (करोड़ रु.)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सदेउ का प्रतिशत	राशि (करोड़ रु.)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सदेउ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	18,515	37.3	3.3	6,922	16.5	1.2
1991-92	23,042	35.2	3.5	7,302	12.9	1.1
1992-93	26,234	35.5	3.5	9,281	14.6	1.2
1993-94	29,431	35.6	3.4	9,037	12.7	1.0
1994-95	33,317	34.3	3.3	10,585	12.5	1.0
1995-96	37,673	34.4	3.2	11,368	11.9	1.0
1996-97	45,746	33.3	3.3	12,642	11.1	0.9
1997-98	58,282	34.4	3.8	14,872	9.5	1.0
1998-99	71,234	35.6	4.1	17,710	9.6	1.0
1999-00	86,285	36.4	4.4	17,522	8.2	0.9
2000-01	94,507	39.1	4.5	19,529	8.1	0.9
2001-02	93,009	36.3	4.1	19,591	7.6	0.9
2002-03	94,717	35.1	3.9	22,438	8.3	0.9
2003-04	98,741	32.0	3.6	25,464	8.3	0.9
2004-05	1,03,924	31.1	3.2	29,164	8.8	0.9
2005-06	1,04,158	29.1	2.8	33,976	9.5	0.9
2006-07	1,16,431	27.5	2.7	41,807	9.8	1.0
2007-08	1,16,983	28.4	2.4	38,439	9.3	0.8
2008-09 (संअ)	1,51,272	29.3	2.7	47,851	9.3	0.9
2009-10 (बअ)	1,92,568	32.6	3.1	40,132	6.8	0.7

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ : बजट अनुमान.

नोट : 1. विवरण 44 और 45 राज्यवार ब्यौरे प्रदान करते हैं। प्रत्येक वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या अलग-अलग है।
2. राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में आंकड़े (स्तंभ 3 और 6) उस वर्ष शामिल राज्यों की संख्या पर आधारित हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर।

3.32 राजकोषीय तनाव, जो पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद शिखर पर पहुंच गया था, बाद में मुख्य रूप से कर वसूली में सुधार तथा ब्याज दरों में नरमी के कारण कम हो गया। अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय बाधा दूर करने का प्रयास करते हुए, सरकार कर आधार बढ़ाने तथा कर एवं करेतर दरों में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है। तथापि, छठे सीपीसी/एसपीसी की सिफारिशों को लागू करने संबंधी कई राज्य सरकारों के निर्णय तथा बकाया राशियां अदा करने की सहमति के कारण, 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 (बअ) में राज्य वित्त की स्थिति में तनाव दिखने लगा है (बॉक्स III.5)।

राज्य सरकारों का योजना परिव्यय

3.33 जहां तक 2009-10 के लिए राज्य सरकारों के अनुमोदित योजना परिव्यय का संबंध है, यह 2,53,615 करोड़ रुपए था जो 2008-09 के 5.0 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत है। गैर विशेष श्रेणियों पर परिव्यय कुल अनुमोदित पूंजीगत परिव्यय के लगभग 90 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है। गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों के बीच, उत्तर प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान का हिस्सा राज्य सरकारों के

कुल पूंजीगत परिव्यय का लगभग 50 प्रतिशत है। योजना परिव्यय के राज्यवार ब्यौरे विवरण 30 में दिए गए हैं।

5. मूल्यांकन

समेकित स्थिति

3.34 राज्यों की समग्र वित्तीय स्थिति में 2007-08 (लेखा) तक अत्यधिक सुधार दिखाई दिया जैसा कि प्रमुख राजकोषीय संकेतकों से स्पष्ट है (सारणी III.13 तथा चार्ट III.8)। राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी कानून बनने से राज्य स्तर पर राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में मदद मिली। इसके अलावा, राज्य स्तर पर राजकोषीय समेकन निम्नलिखित के समर्थन से भी प्राप्त किया गया - अपने राजस्व में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था की समग्र सुदृढ़ वृद्धि के फलस्वरूप केंद्र सरकार से उच्चतर संसाधन अंतरण, ऋण स्वैप योजना के कारण राज्यों की ब्याज दर अदायगी में गिरावट तथा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ऋण समेकन और राहत सुविधा। तथापि, अर्थव्यवस्था की मंद आर्थिक स्थितियों के कारण 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 (बअ) में राजकोषीय समेकन प्रक्रिया में अस्थायी विराम प्रतीत होता है।

बॉक्स III.5 : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) / राज्य वेतन आयोगों (एसपीसी) की सिफारिशों का कार्यान्वयन और राज्य सरकारों के वित्त

केंद्र सरकार ने 2006 के मध्य में छठे वेतन आयोग का गठन किया और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार ने कर दिया है और 2008-09 में उसका अनुमानित प्रभाव 28,505 करोड़ रुपए (सकल देशी उत्पाद का 0.53 प्रतिशत) है। समेकित स्तर पर राज्य सरकारों के इसी तरह के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए भी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग/राज्य के अपने वेतन आयोग (एसपीसी) के कार्यान्वयन की घोषणा पहले ही कर दी है। राजस्थान छठे सीपीसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने वाला पहला राज्य है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा का स्थान है। अन्य राज्यों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने उनके अपने वेतन आयोगों का गठन किया है, पश्चिम बंगाल अपने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा, जबकि कर्नाटक और पंजाब अपने वेतन आयोग की सिफारिशें पहले से ही लागू कर चुके हैं।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी)/राज्यों के अपने वेतन आयोगों (एसपीसी) की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

छठे सीपीसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने वाले राज्य	राज्यों के अपने वेतन आयोग	टिप्पणियां
अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और केरल	आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक	तमिलनाडु ने छठे सीपीसी की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की, जबकि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण कार्यान्वयन के पहले एक अंतरिम राहत की पेशकश की।

छठे सीपीसी/एसपीसी की सिफारिशों के अनुरूप वेतन संशोधन के प्रावधान ने राज्यों के लिए अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। समेकित स्तर पर कुल वेतन और पेंशन संबंधी प्रतिबद्धताओं का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। सीपीसी का पूर्ण

प्रभाव 2009-10 से शुरू होने वाले राज्य सरकारों के बजटों द्वारा महसूस किए जाने का अनुमान है। अतः अभी राज्यों के वित्त पर छठे सीपीसी/एसपीसी के अधिनिर्णय के सटीक प्रभाव का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि राज्यों के बीच इसके कार्यान्वयन में न तो एकरूपता है और न ही इसे पूरा किया गया है। हालांकि, राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 29.3 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 32.6 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है। राज्य सरकार के स्तर पर छठे सीपीसी/एसपीसी के अधिनिर्णय को लागू करने के संबंध में कुछ राज्यों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वेतन और पेंशन, बकाया राशि और अंतरिम राहत में वृद्धि के कारण 2009-10 के लिए अनुमान उस वर्ष में सकल देशी उत्पाद के 0.85 प्रतिशत के आसपास है।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि पांचवें सीपीसी की सिफारिशों के कारण राज्य के स्तर पर सकल देशी उत्पाद का लगभग 1.2 प्रतिशत अतिरिक्त खर्च अपेक्षित हो गया। पांचवें सीपीसी के संदर्भ में विशेष रूप से राज्यों के लिए वेतन और पेंशन भुगतान के स्तर में पर्याप्त वृद्धि की वजह से बने हुए असंतुलन को ध्यान में रखते हुए, बारहवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि हर दस साल में वेतन आयोग के गठन की कोई जरूरत नहीं है तथा उसने व्याज भुगतान और पेंशन को घटाकर राजस्व व्यय के प्रति वेतन व्यय के अनुपात का लक्ष्य 35 प्रतिशत पर रखा जो 1996-97 के उसके औसत स्तर के अनुरूप है। वर्तमान में, यह माना जाता है कि पिछले तीन साल राजस्व अधिशेष होने के कारण वेतन संशोधन के राजकोषीय प्रभाव को अवशोषित करने के लिए राज्य बेहतर स्थिति में हैं। 2009-10 में राज्य वित्त में अनुमानित स्लिपिज को देखते हुए राज्यों को व्यर्थ व्यय को कम करने तथा राजस्व बढ़ाने की रणनीतियों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

संदर्भ:

1. भारत सरकार (2004), बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट।
2. संबंधित राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज, 2009-10।

3.35 एक विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि 2007-08 (लेखा) तथा 2009-10 (बअ) के बीच राजस्व खाते में आयी गिरावट पूर्णतः राजस्व व्यय-जीडीपी अनुपात 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो जाने का परिणाम है। जहां तक 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 में राजस्व खाते में आयी गिरावट का संबंध है, ऐसा अनुमान है कि इस गिरावट का लगभग 75 प्रतिशत जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय में हुई वृद्धि का परिणाम है जबकि राजस्व खाते में कुल गिरावट के 25 प्रतिशत के लिए केंद्रीय अंतरण में आई गिरावट (जीडीपी के रूप में) जिम्मेवार है। जैसा कि पूर्वोक्त चर्चा में उल्लेखित है, समेकित स्तर पर राज्य सरकारों ने 2008-09 (संअ) के 10,701 करोड़ रुपए के अधिशेष की तुलना में 2009-10 में 32,295 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का बजट अनुमान लगाया है। पूंजीगत परिव्यय में थोड़ी वृद्धि तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में आई उल्लेखनीय गिरावट के साथ राजस्व घाटा पुनः

होने से सकल राजकोषीय घाटा 2009-10 (बअ) में बढ़कर 1,99,510 करोड़ रुपए हो जाएगा जो जीडीपी का 3.2 प्रतिशत (2008-09 (संअ) में जीडीपी का 2.6 प्रतिशत) है।

घाटों की राज्यवार स्थिति

3.36 राज्य वित्त पर समष्टि आर्थिक मंदी का असर सभी राज्यों में हुआ प्रतीत होता है। 28 राज्यों में से, जिन राज्यों ने 2009-10 में राजस्व घाटा होने का बजट अनुमान लगाया है उनकी संख्या बढ़कर 14 (2008-09 में 4 राज्य) हो गयी है तथा 10 और राज्य राजस्व अधिशेष की स्थिति से 2009-10 (बअ) में राजस्व घाटे की स्थिति में चले गए हैं। इसके अलावा, 9 और राज्यों ने 2008-09 (संअ) की तुलना में न्यूनतर राजस्व अधिशेष का बजट अनुमान लगाया है। जहां तक सकल राजकोषीय घाटे का संबंध है, 18 राज्य 2007-08 में अपना जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत के नीचे रखने में समर्थ

सारणी III.13: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा		प्राथमिक राजस्व शेष		प्राथमिक घाटा	
1	2		3		4		5	
1999-00	54,549	(2.8)	90,099	(4.6)	9,907	(0.5)	45,458	(2.3)
2000-01	55,316	(2.6)	87,923	(4.2)	4,331	(0.2)	36,937	(1.8)
2001-02	60,398	(2.7)	94,260	(4.1)	-1,198	(-0.1)	32,665	(1.4)
2002-03	57,179	(2.3)	99,726	(4.1)	-11,848	(-0.5)	30,699	(1.3)
2003-04	63,407	(2.3)	120,631	(4.4)	-16,989	(-0.6)	40,235	(1.5)
(पावर बांडों को घटाकर)			94,086	(3.4)				
2004-05	39,158	(1.2)	1,07,774	(3.3)	-47,263	(-1.5)	21,353	(0.7)
2005-06	7,013	(0.2)	90,084	(2.4)	-77,011	(-2.1)	6,060	(0.2)
2006-07	-24,857	(-0.6)	77,508	(1.8)	-1,18,037	(-2.8)	-15,672	(-0.4)
2007-08	-42,943	(-0.9)	75,455	(1.5)	-1,42,773	(-2.9)	-24,376	(-0.5)
2008-09 (संअ)	-10,701	(-0.2)	1,46,349	(2.6)	-1,16,921	(-2.1)	40,128	(0.7)
2009-10 (बअ)	32,295	(0.5)	1,99,510	(3.2)	-84,132	(-1.4)	83,083	(1.3)

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ : बजट अनुमान.

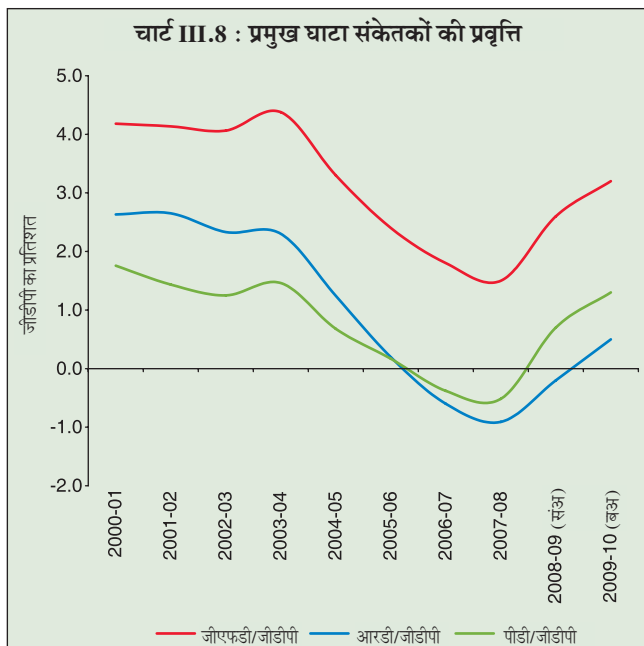
नोट : 1. ऋणात्मक (-) संकेत अधिशेष को दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।

3. राज्य सरकारों ने राज्य बिजली बोर्डों की देय राशियों के लिए एक बार की निपटान योजना के तहत सीपीएसयू को 2003-04 के दौरान 28,984 करोड़ रु. की राशि के पावर बांड जारी किए थे।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

हुए। तथापि, जिन राज्यों का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत के नीचे है उनकी संख्या घटकर 2008-09 (संअ) में 9 तथा 2009-10 (बअ) में 6 रह गयी। संक्षेप में, 28 राज्यों में से 22 राज्यों ने जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3 प्रतिशत के एफआरएल लक्ष्य के ऊपर होने का बजट अनुमान लगाया है।



3.37 गैर विशेष श्रेणी के राज्य 2009-10 (बअ) के दौरान घाटा संकेतकों में गिरावट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। राज्यों के राजस्व खाते में कुल गिरावट के 77.7 प्रतिशत के लिए तथा 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 (बअ) में जीएफडी में वृद्धि के 81.8 प्रतिशत के लिए गैर विशेष श्रेणी के राज्य जिम्मेवार हैं। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पंजाब राजस्व खाते में आई कुल गिरावट के 89.2 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार हैं। तथापि, सिर्फ दो राज्य अर्थात् असम और अरुणाचल प्रदेश ने विशेष श्रेणी के राज्यों के राजस्व घाटे में आई कुल गिरावट के 95 प्रतिशत के लिए बजट प्रावधान किया है। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच, जीएफडी में 2009-10 में हुई 43,481 करोड़ रुपए की तेज वृद्धि में महाराष्ट्र (10,342 करोड़ रु.), पश्चिम बंगाल (10,290 करोड़ रु.), आंध्र प्रदेश (5,724 करोड़ रु.) तथा हरियाणा (4,849 करोड़ रु.) के जीएफडी में हुई वृद्धि का अंशदान अनुमानित है। तथापि, विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में असम प्रमुख अंशदाता है जिसके जीएफडी में 8,687 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जो विशेष श्रेणी के राज्यों के जीएफडी में हुई कुल वृद्धि का 89.7 प्रतिशत है (सारणी III.14)।

सारणी III.14: राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे में राज्यवार सुधार -2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 (बअ)

राज्य	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा	
	2008-09 (संअ) की तुलना में सुधार (करोड़ रु.)	कुल के प्रति प्रतिशत	2008-09 (संअ) की तुलना में सुधार (करोड़ रु.)	कुल के प्रति प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. गैर विशेष श्रेण				
1. आंध्र प्रदेश	-340	-1.0	5,724	13.2
2. बिहार	-2,688	-8.0	-3,798	-8.7
3. छत्तीसगढ़	242	0.7	309	0.7
4. गोवा	431	1.3	493	1.1
5. गुजरात	4,182	12.5	1,788	4.1
6. हरियाणा	3,439	10.3	4,849	11.2
7. झारखंड	905	2.7	481	1.1
8. कर्नाटक	-384	-1.1	-863	-2.0
9. केरल	-721	-2.2	-634	-1.5
10. मध्य प्रदेश	1,471	4.4	1,065	2.4
11. महाराष्ट्र	11,386	34.1	10,342	23.8
12. उड़ीसा	3,129	9.4	3,443	7.9
13. पंजाब	2,422	7.2	2,804	6.4
14. राजस्थान	1,126	3.4	1,871	4.3
15. तमिलनाडु	1,032	3.1	2,575	5.9
16. उत्तर प्रदेश	2,532	7.6	2,742	6.3
17. पश्चिम बंगाल	5,262	15.7	10,290	23.7
कुल (अ)	33,429	100.0	43,481	100.0
आ. विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	1,120	11.7	103	1.1
2. असम	8,092	84.6	8,687	89.7
3. हिमाचल प्रदेश	74	0.8	-272	-2.8
4. जम्मू और कश्मीर	-1,272	-13.3	-120	-1.2
5. मणिपुर	180	1.9	-66	-0.7
6. मेघालय	304	3.2	489	5.1
7. मिजोरम	61	0.6	-160	-1.7
8. नागालैंड	-372	-3.9	-130	-1.3
9. सिक्किम	170	1.8	112	1.2
10. त्रिपुरा	396	4.1	522	5.4
11. उत्तराखण्ड	813	8.5	514	5.3
कुल (आ)	9,567	100.0	9,680	100.0
महा योग (अ + आ)	42,996	100.0	53,161	100.0
ज्ञापन मर्दे:				
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-1,784	-	-1345	-
2. पुदुचेरी	-587	-	-213	-

संअ : संशोधित अनुमान. बअ : बजट. अनुमान.

'-' : लागू नहीं.

नोट: ऋणात्मक (-) संकेत घाटा संकेतकों में सुधार दर्शाता है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सकल राजकोषीय घाटे का विसंयोजन और वित्तपोषण

3.38 राजस्व खाता अधिशेष की स्थिति से 2009-10 (बअ) में घाटे की स्थिति में आने के साथ, 2009-10 में जीएफडी में संरचनात्मक बदलाव आया। जहां 2008-09 (संअ) में राजस्व खाते में मौजूद अधिशेष के द्वारा 7.3 प्रतिशत तक जीएफडी का वित्तपोषण किया गया, ऐसी सुखद स्थिति 2009-10 में नहीं रहेगी। 2009-10 में राजस्व घाटा पुनः वापस आने का अंशदान जीएफडी में 16.2 प्रतिशत होगा। 2009-10 में, जहां पूंजीगत परिव्यय जीएफडी के प्रमुख घटक के रूप में बना रहेगा, वहीं जीएफडी में इसका हिस्सा कम होने का बजट अनुमान है। निवल उधार में वृद्धि तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में गिरावट भी 2009-10 (बअ) में जीएफडी की मात्रा को गंभीर बना देगी (सारणी III.15 तथा परिशिष्ट सारणी 16)।

3.39 हाल के वर्षों में राज्य स्तर पर सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के पैटर्न में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण

सारणी III.15: सकल राजकोषीय घाटे का विसंयोजन और वित्तपोषण पैटर्न -2007-08 (लेखा) से 2009-10 (बअ)

(सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत)

मद	2007-08	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
1	2	3	4
विसंयोजन (1 +2 +3-4)	100.0	100.0	100.0
1. राजस्व घाटा	-56.9	-7.3	16.2
2. पूंजीगत परिव्यय	157.5	107.5	80.3
3. निवल ऋण	8.6	3.5	4.6
4. ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	9.2	3.6	1.1
वित्तपोषण (1 से 11)	100.0	100.0	100.0
1. बाजार उधार	71.5	68.6	57.9
2. केंद्र से ऋण	-1.2	1.3	4.7
3. एनएसएसएफ / अल्प बचत को जारी विशेष प्रतिभूतियां	7.8	2.1	4.5
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	8.3	6.2	4.2
5. अल्प बचत, पी.एफ., आदि	16.4	10.0	10.8
6. आरक्षित निधि	-7.8	1.4	1.3
7. जमा और अग्रिम	18.0	3.9	4.7
8. उच्च और विविध	5.0	-2.2	0.2
9. विप्रेषण	1.7	0.1	-
10. अन्य	-1.7	-2.5	-1.2
11. समग्र अधिशेष (-) / घाटा (+)	-17.8	11.2	12.9

बअ : बजट अनुमान. संअ : संशोधित अनुमान.

नोट: 1. परिशिष्ट सारणी 17 की टिप्पणियां देखें।

2. 'अन्य' में मुआवजा और अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अन्तरराज्यीय निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

उल्लेखनीय बदलाव आया है: (i) केंद्र से राज्य सरकारों को दिए गए ऋण को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने के लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें; और (ii) एनएसएसएफ के तहत वसूलियों में गिरावट। फलस्वरूप, विगत वर्षों में एनएसएसएफ से लिए गए उधार और केंद्र से लिए गए ऋण की प्रमुखता की तुलना में 2007-08 से बाजार उधार जीएफडी की प्रमुख वित्तपोषक मदों के रूप में उभरे। बाजार उधार, जिनसे 2008-09 (संअ) में जीएफडी के दो तिहाई से अधिक का वित्तपोषण किया गया, से 2009-10 (बअ) में कुल जीएफडी के लगभग 57.9 प्रतिशत का वित्तपोषण होगा। राज्य सरकारों ने 2008-09 (संअ) के 1,00,452 करोड़ रुपये की तुलना में 2009-10 में 1,15,484 करोड़ रुपये के समेकित बाजार उधारों के लिए बजट प्रावधान किया है। इस तथ्य के बावजूद कि बारहवें वित्त आयोग ने केंद्र से ऋणों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर बल दिया है, इन ऋणों के 2008-09 (संअ) के 1,921 करोड़ रुपये की तुलना में 2009-10 में 9,291 करोड़ रुपये पर उच्चतर होने का बजट अनुमान है। केंद्र से ऋण 2008-09 (संअ) के 1.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में कुल जीएफडी के 4.7 प्रतिशत को कवर करेंगे। एनएसएसएफ को जारी अल्प बचतों, भविष्य निधि और विशेष प्रतिभूतियों का हिस्सा भी 2009-10 में थोड़ा बढ़ने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 17 और 18)।

बजट संबंधी आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट बनाम केंद्रीय बजट

3.40 केंद्रीय बजट तथा राज्य बजट द्वारा प्रदान किए गए बजट संबंधी आंकड़ों में व्यापक घटबढ़ बना हुआ है। आम तौर पर, राज्य सरकारें केंद्र से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान एवं ऋण तथा एनएसएसएफ के प्रवाहों के बारे में अति-अनुमान लगाती हैं, जबकि केंद्रीय करों में हिस्से के बारे में वे न्यून-अनुमान लगाती हैं। तथापि, 2009-10 (बअ) में, राज्य बजटों में एनएसएसएफ प्रवाहों के बारे में अति-अनुमान लगाया गया है। इसके विपरीत, राज्य सरकारें केंद्रीय करों में उनके हिस्से के रूप में केंद्रीय बजट (2009-10) में प्रस्तावित राशि से अधिक राशि प्राप्त करने की आशा कर रही हैं (सारणी III.16)।

3.41 केंद्र से प्राप्त होने वाले कुल संसाधनों के अति-अनुमान की मात्रा पिछले सालों की तुलना में काफी उच्चतर प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए यदि केंद्रीय करों में हिस्सा तथा सहायता अनुदान के रूप में 50,194 करोड़ रुपये (जीडीपी के 0.8 प्रतिशत) की अति-अनुमानित राशि केंद्र से प्राप्त नहीं होती है, तो इससे अन्य स्थितियां सामान्य रहने पर 2009-10 के दौरान राज्यों का समेकित राजस्व घाटा उस सीमा तक बढ़ जाएगा। इस प्रकार 2009-10 में समेकित राजस्व घाटा 82,489 करोड़ रुपये होगा। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बजट अनुमानों के बीच इस प्रकार के व्यापक घटबढ़ का असर राज्य वित्त पर पड़ेगा। तथापि, विगत दो वर्षों के अनुभव यह दर्शाते हैं कि राज्य बजट अनुमानों

सारणी III.16: बजटीय डेटा घटबढ़ - राज्य बजट और केंद्रीय बजट

(राशि करोड़ रु. में)

मद	2007-08 (बअ)			2008-09 (बअ)			2009-10 (बअ)		
	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. केंद्र से साझायोग्य कर	1,36,184	1,42,450	-6,267 (-4.4)	1,73,147	1,78,765	-5,618 (-3.1)	1,85,720	1,64,362	21,358 (13.0)
2. सहायता अनुदान	1,17,320	99,583	17,737 (17.8)	1,43,030	1,18,901	24,129 (20.3)	1,68,683	1,39,847	28,836 (20.6)
3. केंद्र से ऋण (निवल)	6,485	2,984	3,501 (117.3)	6,942	1,479	5,463 (369.3)	9,291	3,093	6,199 (200.4)
4. एनएसएसएफ (निवल)	53,679	46,990	6,689 (14.2)	22,044	18,626	3,418 (18.4)	9,026	11,744	-2,718 (-23.1)

बअ : बजट अनुमान

*: ऋणात्मक (-)/धनात्मक (+) संकेत से केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य बजटों में न्यून-अनुमान/अति-अनुमान अभिप्रेत है।

नोट: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े केंद्रीय बजट की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बजट दस्तावेज।

की तुलना में 2007-08 (लेखा) तथा 2008-09 (संअ) में केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त राशियां न्यून-अनुमानित साबित हुई, जबकि केंद्र से सहायता अनुदान संबंधी उक्त राशि अति-अनुमानित साबित हुई। इसे देखते हुए, केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में तथा सहायता अनुदान के रूप में केंद्र से प्राप्त कुल संसाधन 2007-08 (लेखा) तथा 2008-09 (संअ) में लगाए गए उनके बजट अनुमानों की तुलना में सिर्फ थोड़ा कम थे। यदि यही पैटर्न 2009-10 में जारी रहता है, तो राज्य सरकारों की समग्र राजस्व प्राप्तियों पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। तथापि, यह केंद्र से राजस्व वसूली तथा अर्थव्यवस्था की समग्र समष्टि आर्थिक स्थितियों पर निर्भर होगा।

3.42 केंद्रीय बजट 2009-10 के आंकड़ों को समयोजित करते हुए, 2009-10 में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2,49,704 करोड़ रुपए (जीडीपी के 4.1 प्रतिशत) पर उच्चतर होगा। 2009-10 (बअ) के दौरान जीएफडी के वित्तपोषण के संबंध में, केंद्र से ऋण तथा बाजार उधार के संबंध में क्रमशः 6,199 करोड़ रुपए (66.7 प्रतिशत) तथा 13,025 करोड़ रुपए (11.3 प्रतिशत) का अति-अनुमान लगाया गया है, जबकि विशेष प्रतिभूतियों के प्रति ऋण के बारे में 2,718 करोड़ रुपए (30.1 प्रतिशत) का न्यून-अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट के साथ राज्य बजटों का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि समग्र घाटे का स्तर मुख्य रूप से राजस्व

सारणी III.17: सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) - 2009-10 (समायोजित)

(राशि करोड़ रु. में)

मद	2009-10 (बअ)		घटबढ़	
	राज्य बजट	समायोजित	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सकल राजकोषीय (जीएफडी)	1,99,510 (100.0)	2,49,704 (100.0)	50,194	25.2
1. बाजार उधार *	1,15,484 (57.9)	1,02,459 (41.0)	-13,025	-11.3
2. केंद्र से ऋण @	9,291 (4.7)	3,093 (1.2)	-6,199	-66.7
3. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	9,026 (4.5)	11,744 (4.7)	2,718	30.1
4. भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	8,462 (4.2)	8,462 (3.4)	—	—
5. अल्प बचत और भविष्य निधि, आदि	21,617 (10.8)	21,617 (8.7)	—	—
6. आरक्षित निधियां	2,554 (1.3)	2,554 (1.0)	—	—
7. जमा और अग्रिम	9,354 (4.7)	9,354 (3.7)	—	—
8. उचंत और विविध	433 (0.2)	433 (0.2)	—	—
9. विप्रेषण	3 (0.0)	3 (0.0)	—	—
10. अन्य	-2,435 (-1.2)	-2,435 (-1.0)	—	—
11. समग्र अधिशेष (-) / घाटा (+)	25,721 (12.9)	75,915 (30.4)	50,194	195.2

*: आंकड़ों को 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों के लिए बाजार उधार कार्यक्रम के तहत आबंटन के अनुसार समायोजित किया गया है।

बअ : बजट अनुमान. '—': शून्य

@: आंकड़ों को 2009-10 के केंद्रीय बजट के अनुसार समायोजित किया गया है।

नोट: 1. कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटा के प्रतिशत हैं।

2. 'अन्य' में मुआवजा और अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अन्तरराज्यीय निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज और रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

घाटे में वृद्धि के कारण 75,915 करोड़ रुपए पर उच्चतर होगा (सारणी III.17)।

6. निष्कर्ष :

3.43 समेकित स्तर पर, राज्य सरकारों ने 2007-08 के संशोधित अनुमानों के लेखों में रूपांतरित होने पर प्रमुख घाटा संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखा। जहां राजस्व खाते पर अधिशेष कुल राशि के रूप में लगभग दुगुना हो गया, वहीं जीएफडी में संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, आर्थिक मंदी और उसके साथ राजस्व वृद्धि की गति में आई कमी के कारण राज्य वित्त में देखे गए राजकोषीय सुधार और समेकन को 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 में झटका लगा। यह स्पष्ट है कि 2007-08 तक देखा गया कर राजस्व का उछाल 2008-09 (संअ) में प्राप्त नहीं हो सका। फलस्वरूप, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष 2007-08 (लेखा) के 0.9 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 (संअ) में 0.2 प्रतिशत रह गया तथा जीएफडी-जीडीपी अनुपात 1.5 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया। 2008-09 (संअ) में राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति में देखे गए गतिरोध की स्थिति के 2009-10 में और बिगड़ने का

अनुमान है जैसाकि बजट अनुमानों से स्पष्ट है। जहां राजस्व खाता घाटे में चले जाने का बजट अनुमान है, वहीं जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.2 प्रतिशत होना अनुमानित है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां (आरआर-जीडीपी) 2008-09 (संअ) के 13.2 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 13.1 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। राज्यों की अपनी राजस्व वसूलियों में होनेवाली वृद्धि के 2009-10 में घट जाने का भी बजट अनुमान है। कुल मिलाकर, केंद्र से राज्यों को अंतरित राशि 2008-09 (संअ) में जीडीपी के 5.9 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 5.7 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान लगाया गया है। मांग को पुनर्जीवित करने के लिए, कुछ राज्य सरकारों ने निवेश करने के लिए समर्पित उत्प्रेरणा पैकेजों की घोषणा की है, परंतु 2009-10 (बअ) में राज्य सरकारों के समेकित पूंजी परिव्यय में वृद्धि का कोई संकेत नहीं है। कुल विकास व्यय-जीडीपी अनुपात 2008-09 (संअ) के 11.0 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 10.7 प्रतिशत पर न्यूनतर रहने का बजट अनुमान है जहां तक जीएफडी के वित्तपोषण का संबंध है, जहां बाजार उधार राशियों से 2008-09 (संअ) में जीएफडी के दो-तिहाई से अधिक का वित्तपोषण किया गया था, वहीं 2009-10 (बअ) में इससे कुल जीएफडी के लगभग 57.9 प्रतिशत का वित्तपोषण किया जाएगा।